

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES
[तृतीय माला]
[Third Series]

[खंड 42, 1965/1887 (शक)
Volume, XLII, 1965/1887 (Saka)]

[20 अप्रैल से 1 मई, 1965 तक/30 चैत्र से 11 वशाख, 1887 (शक) तक
April 20 to May 1, 1965/Chaitra 30 to Vaisakha 11, 1887 (Saka)]



ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 42 में अंक 41 से 50 तक हैं]
[Vol. XLII contains Nos. 41-50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 50—शनिवार, 1 मई, 1965/11 वैशाख, 1887 (शक)

	विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		4749—50
अनुदानों की मांगें—		
इस्पात और खान मंत्रालय		4750—90
श्री रंगा		4751—52
श्री मुरारका		4753—56
डा० उ० मिश्र		4757—58
श्री विद्याचरण शुक्ल		4758—60
श्री टे० सुब्रह्मण्यम		4760—61
श्री युद्धवीर सिंह		4762—63
श्री ल० ना० भंजदेव		4763—64
श्री सुबोध हंसदा		4764—68
श्री शिवमूर्ति स्वामी		4768
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती		4768
श्री किशन पटनायक		4768—69
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा		4769—70
श्री रामेश्वर टांटिया		4770—73
श्री तिम्मय्या		4773—74
श्री राजाराम		4774—76
श्री मैमूना सुल्तान		4776—77
श्री नाथपाई		4777—78
श्री संजीव रेड्डी		4778
पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय—		
श्री हुमायून कबिर		4786
विनियोग (संख्या 2) विद्यधेक, 1965—		
पुरःस्थापित तथा पारित		4792

CONTENTS

No. 50—Saturday, May 1, 1965/Vaisakha 11, 1887 (Saka)

<i>Subject</i>	PAGES
Papers laid on the Table	4749—50
Demands for Grants—	
Ministry of Steel and Mines	4750-90
Shri Ranga	4751-52
Shri Morarka	4753-56
Dr. U. Misra	4757-58
Shri Vidya Charan Shukla	4758-60
Shri T. Subramanyam	4760-61
Shri Yudhvir Singh	4762-63
Shri L. N. Bhanja Deo	4763-64
Shri Subodh Hansda	4764-68
Shri Sivamurthi Swamy	4768
Shri P. R. Chakraverti	4768
Shri Kishen Pattnayak	4768-69
Shrimati Lakshmikanthamma	4769-70
Shri Rameshwar Tantia	4770-73
Shri Thimmaiah	4773-74
Shri Rajaram	4774-76
Shrimati Maimoona Sultan	4776-77
Shri Nath Pai	4777-78
Shri Sanjiva Reddy	4778
Ministry of Petroleum and Chemicals—	
Shri Humayun Kabir	4786
Appropriation (No. 2) Bill, 1965—	
Introduced and Passed.	4792

लोक-सभा

LOK SABHA

शनिवार, 1 मई, 1965/11 वैशाख, 1887 (शक)
Saturday, May 1, 1965/Vaisakha 11, 1887 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER in the Chair.]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I had given notice of a motion of privilege which has been disallowed by you. I want to raise a point of order in that connection.

Mr. Speaker: If I have disallowed any notice, no point of order is involved therein. The Hon. Member should not obstruct the proceedings of the House in this manner.

Shri Madhu Limaye: I should be given an opportunity later on. It can be taken up on Monday if it is not possible to take up now.

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं निम्नलिखित पत्रोंकी एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

- (1) खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत "पेट्रोलियम उत्पादों, जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हैं" पर उत्पादन-शुल्क आरोपण करने के सम्बन्ध में एक विवरण।
- (2) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनायें :—

(एक) संख्या 69/65-एफ संख्या 11/2/65-110 (सीएक्स)-एक, दिनांक 1 मई, 1965, जिसके द्वारा खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क तथा

[श्री ति० त० कृष्णमाचार]]

सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत कतिपय पेट्रोलियम उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाया गया है।

(दो) संख्या 70/65-एफ संख्या 11/2/65-110 (सीएक्स)-एक, दिनांक 1 मई, 1965, जिसके द्वारा खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत कतिपय पेट्रोलियम उत्पादों को अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाने से छूट दे दी गई है।

(तीन) संख्या 72/65-एफ संख्या 15/24/65-110 (सीएक्स)-एक, दिनांक 1 मई, 1965, जिसके द्वारा "कलईदार चादरों" और "टीन प्लेटों" पर लगाये जाने वाले उत्पादन-शुल्क में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं।

(चार) संख्या 71/65-एफ संख्या 16/3/64-110 (सीएक्स)-दो, दिनांक 1 मई, 1965 जिसके द्वारा विद्युत चालित करघों पर सहकारी समितियों द्वारा निर्मित सूती कपड़े पर लगाये जाने वाले उत्पादन-शुल्क में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं।

(पांच) संख्या 74/65-एफ संख्या 2/2/65-110 (सीएक्स)-तीन, दिनांक 1 मई, 1965, जिसके द्वारा तांबे और मिश्रित तांबे पर लगाये जाने वाले शुल्क में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी.-4321/65]

Mr. Speaker: Yesterday, Dr. Ram Manohar Lohia said that he had given a notice, but his name was not there. He is not present in the House now. I have seen all the records but in the current session no notice has been received in his name. If he has got any proof with him, should kindly send it to me.

अनुदानों की मांगें--जारी

DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

इस्पात और खान मंत्रालय

वर्ष 1965-66 के लिये इस्पात और खान मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
96	इस्पात और खान मंत्रालय	45,30,000
87	भूगर्भ सर्वेक्षण	3,22,79,000
88	इस्पात और खान मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	17,41,22,000
140	इस्पात और खान मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	22,76,54,000

श्री रंगा(चित्तूर) : यह एक स्वाभाविक बात है कि प्रत्येक राज्य के लोग यह चाहते हैं कि उनके राज्य में इस्पात कारखाने स्थापित किये जायें क्योंकि इससे न केवल लोगों को रोजगार ही मिल सकेगा, अपितु इससे दूसरे सहायक तथा छोटे उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पांचवें इस्पात कारखाने के लिये सुझाये गये स्थानों के चयन का काम सरकार ने तकनीकी आयोग को सौंप दिया है। यह कारखाना आंध्र प्रदेश अथवा मद्रास राज्य में स्थापित किये जाने की संभावना नहीं है इसलिये वहां पर सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित किये जाने चाहियें। केवल लाइसेंस देने मात्र से समस्या हल नहीं हो जाती है। सरकार को इन नये कारखानों की स्थापना के लिये आवश्यक धन, विदेशी सहयोग, विदेशी मुद्रा तथा तकनीकी जानकारी आदि प्राप्त करने में गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता करनी चाहिये। गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ उपेक्षा की नीति नहीं अपनाई जानी चाहिये और सरकारी क्षेत्र की तरह इसे भी मदद दी जानी चाहिये। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि उन्हें गैर-सरकारी उद्योगों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये।

आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में यदि इस समय इस्पात कारखाने स्थापित नहीं किये जा सकते हैं तो वहां पर कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहियें। भारत जैसे देश के लिये केवल पांच इस्पात कारखाने ही पर्याप्त नहीं हैं। हमें निश्चित रूप से और बहुत से इस्पात कारखाने स्थापित करने होंगे। इसलिये ये बाद में उन स्थानों पर आसानी से स्थापित किये जा सकेंगे जहां पर कच्चे लोहे के कारखाने पहले से ही काम कर रहे होंगे।

तीन बड़े इस्पात कारखानों के बारे में हमारा यह अनुभव रहा है कि इन पर काफी रुपया बरबाद हुआ है। सरकार द्वारा शुरू-शुरू में बहुत कम रुपये के प्राक्कलन तैयार किये गये और बाद में उन प्राक्कलनों में बार-बार वृद्धि की जाती रही। बोकारो इस्पात कारखाने के बारे में रूस से बातचीत लगभग समाप्त हो गई है। उनकी शर्तें बहुत अधिक संतोषजनक नहीं हैं। यह ठीक है कि व्याज दर बहुत कम है परन्तु ऋण को केवल 12 वर्षों में ही वापस किया जाना है। दूसरी ओर पश्चिम जर्मनी 20 वर्ष की अवधि के लिये राजी हो गया है, हालांकि उनका व्याज दर काफी अधिक है। इसलिये सरकार को रूस तथा पश्चिम जर्मनी दोनों से और आगे बातचीत करनी चाहिये और उन्हें ऋण के भुगतान की अवधि बढ़ाने के लिये राजी करना चाहिये। भिलाई कारखाने के अनुभव को ध्यान में रखते हुए रूस की सरकार को छोड़े समय के लिये ऋण का भुगतान न किये जाने के लिये राजी किया जा सकता है। पश्चिम जर्मनी को व्याज दर कम करने के लिये राजी किया जाना चाहिये। रुपयों में रूस को दी जाने वाली राशि की अदायगी तथा उसके भारत में व्यय आदि के बारे में सरकार को अधिक सावधान रहना चाहिये ताकि उस राशि का राजनीतिक प्रचार के लिये उपयोग न किया जा सके।

सरकारी उपक्रमों को एक आदर्श नियोजक होना चाहिये। परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि वह अपने श्रमिकों के साथ कठोर व्यवहार कर रहे हैं ताकि श्रमिक लोग उचित रूप से अपनी संगठन शक्ति तथा एकता न बढ़ा सकें। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ के अन्दर

[श्री रंगा]

भी विरोध चल रहा है। साम्यवादी विचारधारा वाले मजदूर संघों तथा "इंटक" के बीच आपसी होड़ के कारण अनावश्यक बेचैनी फैली हुई है, और धीरे-धीरे काम करने तथा अनुपस्थित रहने की चालें चली जाती हैं। यही कारण है कि रूरकेला में आशानुसार उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सका है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध के बारे में अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण तथा अधिक प्रभावशाली श्रम नीति अपनाई जानी चाहिये।

इस्पात कारखानों में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है और कार्य व्यय बढ़ता ही जा रहा है। केवल कर्मचारियों पर ही 10 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जा रहा है। कर्मचारियों की छंटनी आदि की शिकायतें बार-बार प्राप्त होती रहती हैं। अतः श्रम मंत्रालय की सहायता से एक प्रभावशाली नीति बनाई जानी चाहिये ताकि किसी कारखाने का काम समाप्त होने से काफी पहले फालतू श्रमिकों को अन्य कारखानों में खपाने की योजनाएं तैयार की जा सकें।

तारापुर में अणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी जा चुकी है और गुजरात में एक अन्य संयंत्र स्थापित करने का भी विचार है। इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड भी डीजल इंजन चालू करने जा रहा है। इन सब उपायों से अवश्य ही कोयले की खपत कम हो जायेगी। कोयला जद्योग में बहुत सा सरकारी तथा गैर-सरकारी धन लगा हुआ है अथवा लगाया जा रहा है। इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि कोयला जद्योग में लगी हुई पूंजी को बरबाद न होने दिया जाये। चौथी योजना के लक्ष्य के अनुसार कोयला उद्योग को अपना विकास करने का अवसर दिया जाना चाहिये और साथ-साथ कोयले के लिये आवश्यक मांग तथा आवश्यक परिवहन सुविधाएं उत्पन्न की जानी चाहियें।

किसी परियोजना के प्राक्कलनों में कोई परिवर्तन किये जाने से पहले मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जानी चाहिये।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विकास केवल राष्ट्रीय हित को ही दृष्टि में रखकर किया जाना चाहिये। इसमें किसी दलीय, क्षेत्रीय अथवा अन्य हित को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिये। ऐसे उपक्रमों में भर्ती आदि भी अखिल भारतीय आधार पर की जानी चाहिये। इन उपक्रमों में योग्य तथा सक्षम व्यक्ति लिये जाने चाहियें चाहे वे किसी भी राज्य के हों। सरकारी उपक्रमों में आग लगाने तथा तोड़ फोड़ की कई घटनाएं घट चुकी हैं और इनमें अधिकारियों का हाथ भी पाया गया है। यह एक बहुत गम्भीर बात है और सरकार को इन तोड़-फोड़ के कार्यों को रोकने के लिये भरसक प्रयत्न करने चाहियें।

बोकारो परियोजना को मिला कर इस समय इस्पात कारखानों में राष्ट्र का 1200 करोड़ रुपये से भी अधिक धन लगा हुआ है। यह एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है जो इस इस्पात निगम को सौंपी गई है। इस निगम को उच्च अधिकारियों को अच्छे वेतन देने चाहियें। मैं यहां पर इस्पात विक्रय संगठन का उदाहरण देना चाहता हूं। इस संगठन के उच्च अधिकारियों को अच्छे वेतन नहीं दिये जा रहे हैं जबकि करोड़ों रुपयों के लेन-देन से उनका संबंध होता है। इसलिये उन्हें लालच दिया जा सकता है। किसी एक अधिकारी को कोई निर्णय करने का अधिकार देने की वर्तमान नीति भी खतरे से खाली नहीं है। अतः सरकार को इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री मुरारका (झुंझनू) : मैं अपने माननीय मित्र की अन्तिम टिप्पणी से ही अपना भाषण शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा है कि बोकारो को मिला कर इस्पात कारखानों में कुल 1200 करोड़ रुपया लगा हुआ है। बोकारो को छोड़ कर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में 885 करोड़ रुपया लगा हुआ है जब कि कुल वार्षिक उत्पादन 200 करोड़ रुपये का है। अतः पूंजी तथा उत्पादन में अनुपात इतना कम है कि इस्पात कारखाने काफी लम्बे समय के पश्चात् ही लाभ दिखाने के योग्य हो सकेंगे। परन्तु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि गत वर्ष लगभग 25 लाख टन बेचे जाने वाले इस्पात का उत्पादन हुआ। इसका अर्थ है कि प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। यह हमारे लिये बड़े गौरव की बात है। अब तक इस्पात कारखानों के पास अवक्षयण निधि के रूप में 120 करोड़ रुपये की राशि जमा हो गई है और उत्पादन शुल्क के रूप में इस्पात कारखानों से प्रति वर्ष लगभग 20 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं। ये सभी इस्पात कारखानों के लाभदायक पहलू हैं।

परन्तु हम यह नहीं भूल सकते कि एक समय था जब कि इस देश में इस्पात की उत्पादन लागत अन्य सब देशों की तुलना में सब से कम थी जब कि आज यह उत्पादन लागत संसार में सबसे अधिक है। इसके दो कारण हैं—एक पूंजी व्यय और दूसरा उत्पादन व्यय।

सारी कठिनाई यह है कि इस्पात कारखानों के लिये मशीनें आदि प्राप्त करने के लिये हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है और इसलिये हम अपनी मर्जी के मुताबिक विदेशों से मशीनें नहीं खरीद सकते। जो देश इस्पात कारखानों में हमें सहयोग दे रहे हैं, हमें उनकी शर्तों का पालन करना होता है और हम संसार भर से टेन्डर प्राप्त करके सस्ती मशीनें नहीं खरीद सकते। हम पर ऋण सम्बन्धी शर्तें लगाई गई हैं और इससे अप्रत्यक्ष रूप से हमें काफी हानि हो रही है। मुझे बताया गया है कि भिलाई इस्पात कारखाने के बारे में हमें कुछ ऐसी मशीनें दी गई हैं जो अभी तक काम में नहीं लाई गई हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे अपने तकनीकी कर्मचारी तथा विशेषज्ञ होने चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमें जो मशीनें दी जा रही हैं वे आधुनिक, लाभप्रद तथा आवश्यक हैं।

हमारा उत्पादन व्यय अधिक होने का दूसरा कारण यह है कि किसी कारखाने के सम्पूर्ण व्यय का 18 प्रतिशत नगर बसाने पर व्यय किया जाता है। फिर भी, यह एक आवश्यक मद है और इसे पूंजी का एक भाग माना जाना चाहिये परन्तु उत्पादन लागत निकालते समय इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

एक अन्य कारण यह है कि इस्पात कारखानों के लिये हमें 60 से 80 प्रतिशत तक मशीनें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं। इन आयातित उपकरणों के कारण भी हमारा उत्पादन व्यय काफी बढ़ गया है।

यदि करार किये जाने के पश्चात् इस्पात कारखाना स्थापित करने में कम से कम समय लगाया जाय तो उत्पादन लागत कुछ कम की जा सकती है और यह एक ऐसी चीज है जो यह मंत्रालय कर सकता है। इस समय इस्पात कारखाने स्थापित करने में अधिक समय लगाया जा रहा है और इसके लिये मुख्यतया सरकारी व्यवस्था ही जिम्मेदार है। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हालांकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड एक स्वतन्त्र निकाय है परन्तु वास्तव में वह सरकार के एक विभाग की तरह ही कार्य करता रहा है। जहां तक नियुक्तियों का सम्बन्ध है इसे कुछ स्वतन्त्रता अवश्य है किन्तु इसे उतनी स्वायत्तता प्राप्त नहीं है जितनी इसे मिलनी चाहिए।

[श्री मुरारका]

जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, लागत मूल्य में वृद्धि का मूल कारण हमारे कोयले का घटिया दर्जे का होना है। कोयले में राख का भाग बढ़ता जा रहा है और इसका कोयले में 16 प्रतिशत से बढ़ कर 19-24 प्रतिशत तक भाग हो गया है।

हमारे इस्पात संयंत्रों में कोक की खपत भी बहुत अधिक है। यह जापान में 500 किलो-ग्राम प्रतिटन तथा जर्मनी और इंग्लैंड में 720 किलोग्राम प्रतिटन की अपेक्षा हमारे देश में 900 से 1000 किलोग्राम प्रति टन तक है।

यह दुःख की बात है जहां कच्चे माल को तैयार करना, उसकी मिलावट तथा उसकी जांच सारे संसार में एक मान्य तरीका है वहां भारत में किसी भी इस्पात संयंत्र में इस प्रकार की प्राथमिक सुविधा नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह बोकारो के बारे में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की जांच करते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कच्चा माल तैयार करने वाला उपकरण केवल बोकारो में ही नहीं अपितु अन्य इस्पात संयंत्रों में भी लगाया जाए।

चूने के पत्थरों की किस्म भी हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं है। इस्पात तैयार करने के लिए हमारे देश में भट्टी में लगाने की ईंटों की खपत संसार के किसी देश की अपेक्षा दुगुनी है। इसके अतिरिक्त खुले "ब्लास्ट" भट्टियों में होने वाला इस्पात का उत्पादन भी जापान आदि की तुलना में बहुत कम है।

कच्चे लोहे के प्रति टन पर श्रमिक-व्यय भी बहुत बढ़ गया है। अमरीका में उत्पादन-शक्ति प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 300 टन तथा जापान में इससे भी अधिक उत्पादन शक्ति के विपरीत यह भारत में 65 "इनगॉट" टन है। निस्संदेह इसमें वृद्धि हुई है और पहले से वह दूनी है परन्तु अन्य देशों की अपेक्षा यह अब भी बहुत कम है। 10 लाख टन की क्षमता वाले कारखाने में 16,000—17,000 से अधिक मजदूर नहीं होना चाहिए। किन्तु इसके विपरीत भिलाई में यह संख्या 28,550 है, यदि हम इसमें निर्माण कार्य पर लगे हुए श्रमिकों को भी जोड़ दें, फिर भी यह संख्या काफी अधिक है।

इसके अतिरिक्त, हमारे देश में विदेशी विशेषज्ञ काफी संख्या में हैं और उन पर काफी व्यय होता है और वे उत्पादन लागत में महत्वपूर्ण तत्व हैं।

उत्पादन खर्च के बारे में भिलाई इस्पात कारखाने के महा प्रबन्धक द्वारा व्यक्त किये विचारों से सरकार की लागत-व्यय सम्बन्धी प्रवृत्ति का पता लगता है, सरकार को यात्रा-भत्ता, मनोविनोद-भत्ता, प्रचार तथा अतिथिसत्कार आदि भत्ते के बारे में इतने निदेश न देकर अन्य महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में हिदायतें देनी चाहिए।

राजस्थान में एक मात्र सरकारी क्षेत्र की परियोजना खेतरी परियोजना है, यदि उसकी आर्थिक क्षमता के बारे में बार-बार जांच की जायेगी और सन्देह पैदा किये जायेंगे तो अवश्य ही परियोजना की प्रगति में बाधा पड़ेगी। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए और इस बात की संभावना पर विचार करते हुए कि वहां और किसी प्रकार का उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता, यदि वहां कुछ कठिनाइयां भी हों तो माननीय मंत्री को उन पर काबू पाने का प्रयत्न करना चाहिए और परियोजना को वास्तविक प्रोत्साहन देना चाहिए। इस परियोजना से विदेशी

मुद्रा की पर्याप्त बचत होगी क्योंकि इस समय तांबे के आयात पर हम 25-26 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, ऐसी धारणा है कि इस परियोजना से 21,000 टन तांबे का वार्षिक उत्पादन होगा।

किरिबुरु लौह अयस्क खानों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में यह पढ़ कर खेद हुआ कि लागत-व्यय बहुत बढ़ गया है। हम इन खानों से जापान को लौह अयस्क निर्यात कर रहे हैं। जब इन खानों में पूरा उत्पादन होने लगेगा तब भी हमें जापान को निर्यात करने में हानि होगी। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय जापान के साथ चल रहे हमारे ठेके के दरों में परिवर्तन करने के लिए कुछ उपाय करेंगे।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लाभ काफी कम हो गये हैं। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

इस्पात और खान मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
86	1	श्री यशपाल सिंह	कोयले की खपत में कमी और कोयले का काफी स्टॉक इकट्ठा हो जाना।	100 रुपये
86	2	श्री यशपाल सिंह	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की कार्य-प्रणाली, खासकर ब्रिटेन भेजे गये माल की खराब पैकिंग।	100 रुपये
86	3	श्री यशपाल सिंह	कच्चे लोहे की कमी और लघु उद्योगों में उसका वितरण।	100 रुपये
86	4	श्री यशपाल सिंह	देहरादून स्थित भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
86	5	श्री यशपाल सिंह	दस्तूर एंड कम्पनी को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में बदलने में विलम्ब।	100 रुपये
86	6	श्री यशपाल सिंह	देश के विभिन्न भागों में नये इस्पात के कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
86	22	श्री कोया	केरल राज्य में नोलम्बूर और विनाड में सोने से सम्बन्धित भूतत्वीय सर्वेक्षण में शीघ्रता करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
86	23	श्री कोया	केरल राज्य में ननमिरदा (जिला कोजीकोड) में लौह अयस्क के खनिज भण्डारों की खोज करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
86	24	श्री शिवमूर्ति स्वामी	पांचवां लोहा इस्पात कारखाना मैसूर राज्य के बेल्लारी जिले में होजपेट में स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
86	25	श्री शिवमूर्ति स्वामी	पांचवां लोहा इस्पात कारखाना सोंदपुर-होजपेट क्षेत्र के बेल्लारी जिले में, सब से अधिक लौह अयस्क वाले क्षेत्र में स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
87	26	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मैसूर राज्य के धारवाड़ जिले में कप्पथ पर्वत श्रेणी में सोने की खानों का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
87	27	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मैसूर राज्य में कप्प-गुड्डा में सोने की पुरानी खानों से सोना निकालने की आवश्यकता ।	100 रुपये
140	28	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मैसूर राज्य के बेल्लारी जिले में लोहा और मैगनीज अयस्क के खान-मालिकों को आधुनिक मशीनें देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
140	29	श्री शिवमूर्ति स्वामी	सभी खान मालिकों को परिवहन की सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

डा० उ० मिश्र (जमशेदपुर) : औद्योगिक विकास के लिए इस्पात एक आधारभूत धातु है किन्तु हमारे देश में इस की कमी है। यदि बोकारो कारखाना तृतीय योजना के आरम्भ में बन जाता तो कोई कमी नहीं रहती। इस विलम्ब के लिए सारा दोष सरकार पर आता है क्योंकि सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ लोगों को अमरीका जाने तथा वहां बोकारो संयंत्र को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने के विरुद्ध प्रचार करने की अनुमति दी। इस बात में अब भी सन्देह है कि चौथी योजना के अन्त तक हमारा 1 करोड़ 65 लाख टन उत्पादन लक्ष्य पूरा हो जायेगा।

संयंत्रों के निर्माण कार्य में एक और महत्वपूर्ण धातु संमिश्रित इस्पात है। हम ने 1964-65 में इस का 50,000 टन आयात किया है। यह आवश्यकता बहुत पहले पूरी हो जाती यदि टाटा जैसे गैर-सरकारी कारखानों को लाइसेंस न दिया जाता और इस में अधिक समय तक विलम्ब न किया जाता। दुर्गापुर कारखाना भी बहुत पहले पूरा हो जाता यदि ठेकेदार के बारे में कोई घोटाला न किया गया होता। मैं श्री मुरारका की इस बात से सहमत हूँ कि बहुत बड़ी पूंजी से लगाये गये बड़े-बड़े संयंत्रों में अग्रेतर विकास के लिए संसाधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। हमें रूस या अमरीका के पास नहीं जाना चाहिए था। रूरकेला, दुर्गापुर और भिलाई संयंत्रों में हमें कुल मिला कर 68.4 करोड़ रुपये की हानि हुई है। अधिकांश हानि श्रमिक उत्पादन शक्ति के कारण नहीं अपितु भ्रष्टाचार और गलत आयोजन के कारण हुई।

पांचवां इस्पात कारखाना खोलने के लिए स्थान चुनने पर विदेशी विशेषज्ञों पर पहले ही 46 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की जा चुकी है। तीन संयंत्र लगाने के बाद भी इस काम के लिए विदेशी विशेषज्ञ बुलाना आवश्यक नहीं था क्योंकि विदेशी विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय इंजीनियर आदि भी कम योग्य नहीं हैं।

बोकारो संयंत्र का डिजाईन तथा उसका निर्माण भी भारतीय इंजिनियरों द्वारा किया जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान स्टील के अधीन एक केन्द्रीय डिजाईन संस्था है। इसे और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। दस्तूर एन्ड कम्पनी तथा उपलब्ध इंजिनियरों और योग्य व्यक्तियों को सरकार को तुरन्त अपने काम में ले लेने चाहिए और एक पूर्ण विकसित केन्द्रीय रूपांकन (डिजाईन) संस्था की स्थापना की जानी चाहिए ताकि कम से कम पांचवां इस्पात संयंत्र शत प्रतिशत भारतीय हो।

टाटा लोहा तथा इस्पात कम्पनी और भारतीय लोहा तथा इस्पात कम्पनी को—प्रत्येक को 10 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है किन्तु इसे लौटाने की कोई भी शर्त नहीं रखी गई है। गैर-सरकारी क्षेत्र में इन कम्पनियों को अत्यधिक लाभ होता है जिसका वे अनुचित लाभ उठाते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि इन ऋणों को सामान्य अंशों (ईक्विटी शेयर्स) में परिवर्तित कर देना चाहिए जिस से इन का राष्ट्रीयकरण भी आरम्भ हो जायेगा।

तीसरी योजना में कोयले की खपत का बढ़ा-चढ़ा कर अनुमान पेश करने के कारण संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। कोयला उद्योग संकट का सामना कर रहा है। कोयले के भण्डार खानों के मुहानों पर पड़े रहने से उन्हें आग पकड़ने का खतरा है। अधिक पूंजी लगाने तथा उच्च स्तर पर प्रशासन के अत्यधिक होने के कारण राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अपने उत्पादित कोयले को नहीं बेच पा रहा है। इस संकट को दूर करने के लिए सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं में इस के लिए बाजार की व्यवस्था करना वांछनीय है।

[डा० उ० मिश्र]

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने सुदंती क्षेत्र में कुछ भूमि मुख्यतः आदिवासियों से अर्जित की थी किन्तु 3-4 वर्ष व्यतीत होने पर भी अभी तक उन लोगों को कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है ।

सिंधभूम जिले में कोयले की खानों के अतिरिक्त कुछ मैंगनीज अयस्क खानें हैं जो टाटा तथा भारतीय लोहा तथा इस्पात कम्पनी की हैं और खेती योग्य भूमि का बहुत अधिक भाग कूड़ा कर्कट आदि के फैले रहने के कारण बेकार तथा बंजर पड़ी हुई है । अतः सरकार को इस मामले पर छान-बीन करनी चाहिए ।

भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस के प्रति विशेष उदारता का व्यवहार दिखाने का कोई परिणाम नहीं निकला । संघों को मान्यता देने के मामले में कोई प्रजातंत्रीय प्रक्रिया निकाली जानी चाहिए ।

भिलाई में 10,000 श्रमिकों की छटनी होने की आशंका है । इस मामले की छान-बीन को जानी चाहिए । इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के कर्मचारियों की भी छटनी होने वाली है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह टाटा कर्मचारियों की दशा पर भी ध्यान दे । ये कुशल कर्मचारी हैं जिन्हें सरकारी संघों में भी खपाया जा सकता है । खान इंजिनियर एक विशेष कार्य के लिए होते हैं अतः उन्हें और जगह नहीं लगाया जा सकता । उन्हें या तो रोजगार मिलता ही नहीं यदि मिल भी जाता है तो वह उपयुक्त रोजगार नहीं मिलता । हिन्दू विश्वविद्यालय के खान कालेज के अलावा अन्य संस्थाओं के खान विभागों को तब तक के लिए बन्द कर देना चाहिए जब तक कि हमें और अधिक इंजिनियरों की आवश्यकता न पड़े ।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : अध्यक्ष महोदय, मैं खनिज विभाग के सम्बन्ध में बोलूंगा जिसकी केवल पूर्व वक्ताओं ने ही नहीं अपितु मंत्रालय ने भी उपेक्षा की है । खनिज की, जो हमारे औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है इसलिए उपेक्षा की गई है कि आज इस्पात को वस्तुओं की मांग अधिक है । खनिज-विकास की उपेक्षा का मुख्य कारण अपर्याप्त भूतत्वीय मानचित्र और खनिज की उचित प्रकार खोज न किया जाना है । हम मध्य भारत के कई ऐसे क्षेत्रों को जानते हैं जहां सभी प्रकार के खनिज मौजूद हैं । ऐसे क्षेत्रों के भू-तत्वीय मानचित्र बनाये जाने चाहिए । खनिज संसाधन पर्याप्त हों । इसके पश्चात् इन की उचित रूप से खोज की जानी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए भारतीय भू-तत्वीय विभाग को सुदृढ़ बनाना होगा ।

आज अलौह-धातुओं की हमारी बहुत सी आवश्यकतायें आयात द्वारा पूरी की जाती हैं और यह बड़े दुःख की बात है क्योंकि इनका उत्पादन वास्तव में भारत में हो सकता है । कुछ ऐसे भी खनिज भण्डार हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध है । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कुछ सराहनीय काम किया है । हमने तेल के कई क्षेत्रों की खोज की है और मुझे यकीन है कि भविष्य में हम तेल के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे । मेरे विचार में अलौह-धातु संसाधनों के विकास में उस पर गंभीरता-पूर्वक विचार न करना ही इस सम्बन्ध में सब से बड़ी कठिनाई रही है ।

जिस प्रकार खनिज सम्बन्धी नियमों तथा कानूनों को लागू किया जा रहा है, वह खेदजनक है। सरकारी क्षेत्र के लिए तथाकथित आरक्षण (रिजर्वेशन) का भारी दुरुपयोग हुआ है। चाहे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को आवश्यकता हो या न हो, सभी राज्यों में हजारों वर्गमील क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया है और इसके परिणामस्वरूप ये खनिज भण्डार बेकार पड़े हैं, और इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है।

परन्तु उन क्षेत्रों में जो छोटे-छोटे प्लाट हैं और जिन्हें रक्षित रखा गया है तथा जिनका सरकारी क्षेत्र द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें शीघ्र ही दे दिया जाना चाहिए।

फिर खनिज रियायत नियम इस प्रकार बनाये गये हैं कि इन से वास्तव में खनिज विकास की प्रगति पीछे पड़ गई है। एक उपबन्ध के अनुसार खान की खोज के लिये लाइसेंस या पट्टे पर खान लेने के लिये आवेदन-पत्र पर यदि नौ महीने के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता तो वह आवेदन-पत्र स्वतः ही अस्वीकार हो जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे वे पसन्द नहीं करते, के आवेदन-पत्र को अस्वीकार करने के लिये, नौकरशाही इस नियम को बहुत सुविधाजनक समझती है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यह उपबन्ध किसी अच्छे प्रयोजन के लिये रखा गया था परन्तु इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। वास्तव में इन नियमों में पूरा पूरा संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

भारतीय खान विभाग के बारे में इतना कहा जाना काफी है कि यह इस मंत्रालय का "रोगी अंग" है। इस के बारे में बहुत प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है। आशा है कि वर्तमान मंत्री महोदय इस विभाग की जांच करेंगे तथा इस में सुधार करेंगे। यह विभाग बहुत ही अदक्ष रूप से कार्य करता रहा है और इसने वह कार्य भली प्रकार नहीं किया जिसके लिये इसे स्थापित किया गया था। यह केवल मेरा ही मत नहीं है परन्तु "एन०सी०डी०एस०" तथा "एन०एम०डी०सी०" का भी यही मत है। जब मैं प्राक्कलन समिति में था, तो मैं ने इसकी जांच की थी और इसे फालतू पाया था। सरकारी क्षेत्र के निगमों की सहायता करने के बजाय इसने सदैव ही मामलों को शीघ्र निपटाने तथा शीघ्र खोज करने के कार्य में बाधा डाली है।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूँ कि खनिज सलाहकार बोर्ड को एक संविधिक बोर्ड में परिवर्तित किया जाना चाहिये। इस बोर्ड से कम महत्व वाले बोर्डों को संविधिक रूप दे दिया गया है हालांकि यह बोर्ड खान उद्योग सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य करता है, परन्तु फिर भी इसे अभी संविधिक रूप नहीं दिया गया है। आशा है माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

अब तक छोटे पैमाने के खनन उद्योग तथा बड़े पैमाने के खनन उद्योग में कोई भेद नहीं रखा गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि ऐसे नियम तथा प्रक्रियाएँ बनाई गई हैं जिन से छोटे-छोटे खान-मालिकों का स्वविवेक समाप्त हो गया है। बहुत से छोटे खान-मालिकों ने अपनी खानें बन्द कर दी हैं और कुछ बेईमान खान-मालिक रह गये हैं जो अधिकारियों को घूस तथा धोखा देकर अपना कार्य चला रहे हैं। खान उद्योग को भी ऐसा उद्योग माना गया है जिसका सम्बन्ध निर्यात से हो। जबकि साधारण उद्योगों में बड़े और छोटे का भेद रखा गया है इस उद्योग में ऐसा कोई भेद नहीं रखा गया है। इससे छोटे खान-मालिकों के लिये बहुत कठिनाइयाँ पैदा होती हैं।

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

इस मन्त्रालय के प्रतिवेदन में अलौह धातुओं की स्थिति चिन्ताजनक बताई गई है। सभी महत्वपूर्ण खनिज-पदार्थों के उत्पादन में कमी हुई है। लौह-अयस्क का उत्पादन 1962-63 में 19,730 हजार टन था परन्तु अब यह 17,037 हजार टन रह गया है। मैंगनीज का उत्पादन 1,635 हजार टन से 1,181 हजार टन रह गया है। ताम्बे, सीसे तथा जस्ता की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। इससे यही ज्ञात होता है कि जो प्रगति हुई थी वह अब व्यर्थ जा रही है। केवल पिछले वर्ष ही कुछ प्रगति हुई है जिसका श्रेय वर्तमान मन्त्री को प्राप्त है।

भिन्न-भिन्न राज्यों में इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये राजनैतिक दबाव डाला जा रहा है। राउरकेला में इस्पात कारखाना स्थापित करने के परिणाम हमने देख लिये हैं। यदि सावधानी न बरती गई तो नये इस्पात कारखानों की भी यही दशा हो सकती है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वह नया इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये किसी भी दबाव की परवाह न करें। मुझे ज्ञात है कि आन्ध्र प्रदेश से उन पर दबाव डाला जा रहा है परन्तु मुझे पता लगा है कि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की है। उन्हें यह कारखाना ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिये जहाँ इसका स्थापित किया जाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो।

श्री मुरारका ने कहा है कि भारत में अच्छी किस्म का चूने का पत्थर नहीं मिलता। यह गलत है। पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा दक्षिणी बिहार में करोड़ों टन ऊंची किस्म का चूने का पत्थर पाया गया है।

श्री टे० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) : 1964-65 में आरम्भिक कठिनाइयों से निकल कर सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखानों ने भलो प्रकार काम करना आरम्भ किया है और हमने अग्रेतर विकास की नींव डाली है। 1964 के अन्त तक इस सम्बन्ध में काफी सफलता प्राप्त हुई है। क्योंकि लोहा तथा इस्पात हमारे आर्थिक विकास तथा औद्योगिक प्रगति का आधार है, इसलिये भविष्य में इस्पात कारखाने स्थापित करते समय हमें काफी सावधान रहना चाहिये।

केन्द्रीय इंजीनियरी तथा नमूना विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। इस समय इस विभाग में कर्मचारियों की संख्या 434 है जिनमें 146 इंजीनियर हैं। यह हर्ष का विषय है कि राउरकेला तथा दुर्गापुर कारखानों का उत्पादन दस लाख मीट्रिक टन से बढ़ा कर क्रमशः 18 लाख तथा 16 लाख करने के सम्बन्ध में परियोजना इस विभाग ने बनाई और इन कारखानों में प्रगति सम्बन्धी पर्यवेक्षण भी यही विभाग कर रहा है। चौथी योजना में इन कारखानों का अग्रेतर विस्तार करने का कार्य भी अभी विभाग कर रहा है तकनाकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये 1964-65 में एक संस्थान स्थापित किया गया है।

हमारे देश में श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम है। इस कमी को पूरा करने के लिये 1964 में एक प्रकार को पुनरोक्षित बोनस योजना लागू करके प्रोत्साहन दिया जा रहा है। परन्तु दुर्भाग्यवश औद्योगिक सम्बन्ध ठोक नहीं रहे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पंठसन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

कई स्थानों पर काम बन्द कर दिया गया और दूसरे प्रकार की कठिनाइयां पैदा हुईं जिनके परिणामस्वरूप उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

जहां तक बोकारो इस्पात परियोजना का सम्बन्ध है इस एकीकृत लौह तथा इस्पात कारखाने के निर्माण में सहयोग के लिये रूस तथा भारत में 25 जनवरी, 1965 को एक समझौता हुआ है। यह

कारखाना रूसी विशेषज्ञों और रूसी संगठनों द्वारा प्रशिक्षित किये जाने वाले भारतीय विशेषज्ञों की सहायता से भारत-निर्मित होगा। यह एक अच्छी बात है।

मैसूर लोहा तथा इस्पात कारखाने में उत्पादन 42,000 टन से बढ़ा कर एक लाख टन करने का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है।

मिश्र धातु इस्पात (अलॉय स्टील) के सम्बन्ध में भी पश्चिमी जर्मनी के एक सार्थ से समझौता किया गया है और इससे उपकरण सम्बन्धी विदेशी मुद्रा भाग प्राप्त होगा। मैसूर लोहा तथा इस्पात कारखाने में 1.2 लाख टन कच्चे लोहे के उत्पादन के सम्बन्ध में भी एक योजना है।

अब मैं भविष्य में लोहे तथा इस्पात के उत्पादन कार्यक्रम के बारे में कहूंगा। 1965-66 तक कच्चे लोहे, इस्पात की मांग काफी बढ़ जायेगी और जहां तक चौथी पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है यह मांग और अधिक बढ़ जायेगी और हमारी उत्पादन-क्षमता बहुत कम है। इसलिये बोकारो परियोजना के अतिरिक्त चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक और इस्पात कारखाना स्थापित किया जाना आवश्यक है। परिवहन तथा सामरिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि इसे दक्षिण भारत में स्थापित किया जाये। इसे हॉस्पेट-बेलारी क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिये। वहां लौह अयस्क के निक्षेप संसार भर में सबसे बढ़िया हैं। यह मेरी राय नहीं है परन्तु यह उन विशेषज्ञों की राय है जो विदेशों से आये हैं। इसके अतिरिक्त यहां "फ्लोट" अयस्क उपलब्ध है और यह फ्लोट अयस्क इस्पात कारखानों के लिये सस्ती पड़ेगी।

जहां तक कच्चे माल का सम्बन्ध है यहां लौह-अयस्क भारी मात्रा में उपलब्ध है। परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की दृष्टि से भी बेलारी एक केन्द्रीय स्थान है। बेलारी से तैयार माल आन्ध्र अथवा केरल में भेजा जा सकता है। तैयार माल से मैसूर, आन्ध्र, महाराष्ट्र तथा मद्रास की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। फिर गुन्टाकल से हॉस्पेट तक बड़ी लाइन बिछाई जा रही है। हम वहां सस्ते मूल्य पर भूमि भी खरीद सकते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaia (Dewas): On a point of order, Sir. There is no quorum in the House.

अध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति ठीक है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Speaker, ** ** *

श्री टे० सुब्रह्मण्यम : चूना भी महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यह वहां भारी मात्रा में पाया जाता है। पानी भी नमकीन नहीं है। तुंगभद्रा जल-भण्डार से वहां पानी पहुंचाया जा सकता है। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है शरवती परियोजना से दस लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन हो सकता है हालांकि इस इस्पात कारखाने के लिये एक लाख किलोवाट बिजली की आवश्यकता है। इसलिये जब इस कारखाने का विस्तार होगा तो शरवती परियोजना से इसकी बिजली सम्बन्धी सारी आवश्यकता पूरी हो जायेगी।

इन सब बातों के आधार पर मैं यह निवेदन करूंगा कि एक बड़े पैमाने के इस्पात कारखाने के लिये बेलारी-हॉस्पेट एक उत्तम स्थान है। अभी हाल में विदेशी विशेषज्ञों ने भिन्न-भिन्न स्थानों का दौरा किया है। वे अपना प्रतिवेदन देंगे। मुझे विश्वास है कि इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में निर्णय के लिये स्थान के गुणों तथा तकनीकी परामर्श पर किया जायेगा।

*अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

Shri Yudhvir Singh (Mahendragarh): There is no doubt that the national progress depends upon the production of iron and steel. The success of all Government Plans depends on this Ministry and, therefore, its work should be carried on satisfactorily.

A discriminatory treatment is being meted out to the small scale steel units for the last 7 or 8 years as against the big ones. In reply to a recent question, the Minister stated that when these re-rolling mills were set up in Madras or elsewhere, there was an agreement with them that they would rely on the local raw material only but from the Government records it will be clear that such a condition was not imposed. It is also clear from the Gazette notification issued in 1960 about those small-scale re-rolling mills. The Minister, should, therefore, clarify the position *vis-a-vis* the reply given by him. May I know whether he has got a copy of some other order issued in this connection. The order I have referred to is a Government order and I have got a copy thereof with me and I have based my agreement on that.

I would like to make myself more clear. I had tabled my question mainly regarding unregistered mills and I am trying to emphasise this very point. These unregistered mills fall under small scale industries. It is necessary that these mills are protected. It was announced regarding the registered mills that the Government would supply them the raw material on one condition that the finished product would be sold in the market according to the direction of the steel controller. But the dispute regarding unregistered mills arose in 1964 when through a Government order the registered mills were allowed to sell some of their steel products in the open market although they continued to get the raw material from the Government. But the unregistered mills were not supplied the raw material. As a result of this the prices of raw material looked up and the unregistered mills could not get the same. Previously the raw material was being supplied f.o.r. destination and now that is being supplied f.o.r. despatching station and consequently the prices have increased. Now it has become difficult for these unregistered mills to compete with the registered mills which are getting the raw material from the Government. The small mills have been hit hard. When the representatives of these mills approach the Government, the Government consult the secretaries who are adamant for nothing. The evil is aggravated when the Ministers do not depend upon their own wisdom but instead consult the secretaries. When it is the accepted policy of the Government to protect the small-scale industries, may I know why a wrong answer was given to the question asked on 26th March, 1965? Is the Government in position of obviating this type of mistake?

The Government came out with the plea that they dealt only with the association of the re-rolling mills. But only the registered big mills are the members of this association and the small mills are not extended the membership of this association. Hence they continue to suffer. They should either be supplied the material by some other method or the associations should be asked to enrol them as members. These small mills have been set up throughout the country. The Government are spending crores of rupees and supplying raw-material to the registered mills through the association. It is not proper for the Government to say that they are

unable to press upon the association to enrol other small mills as members.

The problem is that after the order was issued in 1960, hundreds of people from Punjab left their home bag and baggage and reached Madras on the assurance of the Central as well as the Madras Government. But today the mills are locked up as no raw-material is being supplied to them there. I would like the Government to look into this matter and ensure that justice is meted out to these un-registered small mill-owners.

In this context I have to submit that recently a committee has been set up which is to submit its report by August. A representative of the registered mills association has also been taken although there is a complaint against this very association that they have established a monopoly and do not follow the Government's declared policy. A representative of small unit should also be taken. At least a directive should be sent to the committee that it should bear the grievances of the small mills also.

If the small scale industries are to be given incentive according to the declared policy of the Government, then I think they should be protected against the fish justice of the big industrialists.

श्री ल० ना० भंजदेव (क्योंकर): उपाध्यक्ष महोदय, हम अपनी अगली योजना में एक करोड़ सत्तर लाख मीट्रिक टन इस्पात के उत्पादन की महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ करने जा रहे हैं। यह हर्ष का विषय है। मैं इस बारे में यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि इस्पात के कारखाने स्थापित करने के लिये स्थान चुनने का आधार उत्पादन की लागत तथा आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्यपाल ने योजना आयोग तथा मन्त्री महोदय को एक ज्ञापन-पत्र भेजा था जिसमें यह कहा गया था कि किन कारणों से उड़ीसा में एक और इस्पात कारखाना स्थापित किया जाये ताकि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को वहाँ बसाया जा सके।

मैं माननीय मन्त्री का ध्यान 'स्टेट्समैन' में अलौह धातुओं के विकास के सम्बन्ध में प्रकाशित एक लेख की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें यह कहा गया है कि इस्पात की अपेक्षा अलौह धातुओं के सम्बन्ध में श्री रेड्डी का कार्य अधिक दुष्कर होगा तथा यदि श्री शास्त्री द्वारा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ की वार्षिक बैठक में दिये गये इस वक्तव्य को भी मान लिया जाये कि चालू वर्ष में उत्पादन 25 प्रतिशत बढ़ जायेगा, तब भी बहुत कमी रहेगी। इसलिये मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अलौह धातु उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान दें जो हमारी विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिये बहुत महत्वपूर्ण होगा।

अब मैं लौह अयस्क के निर्यात का उल्लेख करूँगा। इससे भविष्य में बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी जो देश की अर्थ व्यवस्था के लिये बहुत लाभदायक होगी। एम० एम० टी० सी० के प्रधान ने यह ठीक ही कहा है कि जापान की मंडी के निकट आस्ट्रेलिया की मण्डी होने के कारण हमें बड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में हमारा एकाधिकार नहीं होगा जब तक अयस्क के लाने लेजाने

[श्री ल० ना० भंजदेव]

त्र जहाजोंके लिये उपर्युक्त बंदरगाहों की व्यवस्था नहीं होती। मुझे प्रसन्नता होती है कि विशाखापत्तनम् बन्दरगाह को 35,000 से 45,000 टन के जहाजों के योग्य बना दिया गया है इसी प्रकार परादीप बन्दरगाह को 60,000 टन के जहाजों के ठहरने योग्य बनाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं अन्त-राष्ट्रीय विकास के लिये संयुक्त राज्य अभिकरण के खनन तथा परिवहन डिवीजन के प्रधान श्री जोसि-आह रॉस द्वारा कही गई कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaia (Dewas): Sir, these is no quorum in the House.

उपरोक्त महोदय : घंटी बजाई जा रही है, अब कोरम हो गया है।

श्री ल० ना० भंजदेव : उन्होंने "मिनरल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज" नामक पुस्तक में लिखा है कि ज्ञापन से आस्ट्रेलिया भारत से 1000 मील निकट है जहां करोड़ों टन लौह अयस्क का पता लगा है। इसके अतिरिक्त तीन अन्य नई बातें हो रही हैं जिससे पुराने ढंग के लौह अयस्क के बाजार पर प्रभाव पड़ेगा। पहली बात यह है कि नये प्रकार के लौह अयस्क के छरों आदि से धमन भट्टी की क्षमता दुगुनी हो जाती है। इसलिये पुराने ढंग के लौह अयस्क की अपेक्षा इसको पसन्द किया जायेगा। दूसरी बात यह है कि लौह अयस्क के लाने-ले जाने वाले बड़े जहाजों के प्रयोग से समुद्री भाड़े में बहुत बचत होगी। तीसरी नई बात यह हो रही है कि अब लौह अयस्क की खानों से बन्दरगाहों तक माल ले जाने के लिये अलग रेलवे लाइनें बनाई जा रही हैं। इसलिये यदि हमें विदेशों से प्रतियोगिता करनी है तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा।

प्रतियोगिता तथा हमारे अधिक लागत-मूल्य के कारण मैंगनीज अयस्क का निर्यात कम हो गया है। मुझे विश्वास है कि एम० एम० टी० सी० अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह निभा सकती है। भिन्न भिन्न धमन भट्टियों में भिन्न भिन्न प्रकार के मैंगनीज अयस्क की आवश्यकता होती है। इसलिये यदि हमें चुनी हुई मण्डियों में मैंगनीज बेचना है तो कठोर नियम से काम नहीं चलेगा। हमें विशेष कठिनाइयों व परिस्थितियों के अनुसार नियमों में हेर-फेर करना होगा।

सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति ने कोयला उत्पादन के बारे में व्यवस्था सम्बन्धी दोषों तथा आरम्भ में मालडिब्बों के न मिलने का उल्लेख किया है। माननीय रेलवे मंत्री ने कहा कि बाद में इतने अधिक मालडिब्बे हो गये कि उन सब का उपयोग नहीं हो सका। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये योजना बनाते समय यदि हम विभिन्न क्षेत्रों में यथार्थवादी न होकर आदर्शवादी रहेंगे तो हमें इसके लिये भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिये मैं माननीय रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगली योजना में वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी समय मालडिब्बे बेकार न पड़े रहें।

श्री सुबोध हंसदा (झाड़ग्राम) : यह चिन्ता की बात है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का लाभ 1962-63 में 1.25 करोड़ रुपये से घट कर 1963-64 में 19 लाख रुपये रह गया। उत्पादन 1963-64 में 90 लाख टन से घट कर 1964-65 में 82.5 लाख टन ही रह गया है। यह आशा व्यक्त की गई है कि 1965-66 में उत्पादन लगभग 118 लाख टन हो जायेगा। यह कहा गया है कि उत्पादन में कमी देश में कोयले की मांग कम हो जाने के कारण हुई है।

Shri Hukam Chand Kachhavaia: Mr. Deputy-Speaker, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम की घंटी बजाई जा रही है। श्री सुबोध हंसदा कुछ समय के लिये अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री सुबोध हंसदा : प्राक्कलन समिति ने उत्पादन में गिरावट का कारण राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यालयों का एक स्थान पर केन्द्रित होना बताया जिसके कारण पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा उत्पादन-क्षेत्र में उचित पर्यवेक्षण नहीं होता। इसलिये उन्होंने सिफारिश की कि समूचे कार्यालय को विकेन्द्रित किया जाये जिससे हलचल मच गई और कुछ निदेशकों ने पदत्याग की धमकी दी थी तथा मजदूरों को हड़ताल करने के लिये भड़काया। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय ऐसे निदेशकों के ऐसे व्यवहार को सहन नहीं करेंगे।

हिन्दुस्तान इस्पात कारखाने के कोयला धोने के कारखानों के अतिरिक्त ऐसे चार अन्य कारखाने हैं। इन चारों कारखानों में उत्पादन क्षमता से बहुत कम है। दुर्गा कारखाने में 24 लाख टन की क्षमता के विपरीत 9.5 लाख टन उत्पादन हुआ है। 1963 में बोजीडीह कोयला धोने के कारखाने की क्षमता 12 लाख टन से बढ़ा कर 20 लाख टन कर दी गई थी लेकिन 1964 में केवल 12.40 लाख टन उत्पादन हुआ। इसी प्रकार दुर्गापुर में भी उत्पादन केवल 8.8 लाख टन हुआ।

Shri Hukam Chand Kachhavaia (Dewas): Mr. Deputy-Speaker, Sir, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध हंसदा कुछ समय के लिये अपने स्थान पर बैठ जायें। घंटी बजाई जा रही है।

अब कोरम हो गया है। श्री सुबोध हंसदा अपना भाषण जारी करें।

श्री सुबोध हंसदा : मुझे तो ऐसा मालूम देता है कि कोयला धोने के इन कारखानों के डिजाइन में कोई खराबी है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

भारतीय खान ब्यूरो पश्चिमी बंगाल में बांकुरा तथा मिदनापुर में खनिजों की खोज कर रहा है तथा लोहा तथा टंगस्टन का पता लगाने में सफल भी हुआ है। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि यदि ये अच्छी किस्म की हो तो इनके उपयोग के लिये वहां पर ही परियोजनायें स्थापित की जायें। हिन्दुस्तान इस्पात कारखाने में उत्पादन की लागत शायद विश्व में सबसे अधिक है। यह एक अजीब बात है कि इसके विपरीत हमारे विदेशी सहयोगियों के अपने देश में लागत बहुत कम है। उनका यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि यहां कच्चे माल की खपत अधिक होती है क्योंकि कारखाने का डिजाइन उनका ही तैयार किया हुआ है। मुख्य कारण यह है कि मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं पर अत्यधिक व्यय हो रहा है। मुझे नहीं मालूम यदि विदेशों में कर्मचारियों को ये सुविधायें दी जाती हैं। जापान बाहर से कच्चा माल मंगाकर भी बहुत कम लागत पर इस्पात तैयार कर रहा है। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

अब मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करूंगा। इस समय कच्चे लोहे का उत्पादन 12 लाख टन है। मंत्री महोदय को मालूम है कि कच्चे लोहे की कमी के कारण छोटे पैमाने के उद्योगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कलकत्ता के बारे में मैं जानता हूँ कि वहां अनेक छोटे पैमाने के उद्योग कच्चे लोहे की कमी के कारण अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि किस आधार पर राज्यों का कोटा निर्धारित

[श्री सुबोध हंसदा]

किया जाता है। वितरण में अवश्य गड़बड़ है। कुछ राज्यों को अधिक कच्चा लोहा दिया जाता है जबकि ऐसे राज्यों को बहुत कम कच्चा लोहा दिया जाता है, जहां छोटे पैमाने के उद्योगों की संख्या अधिक है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रत्येक राज्य में सभी छोटे पैमाने के उद्योगों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही कोटा निर्धारित किया जाये।

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal): Mr. Deputy Speaker, Sir, India is rich in minerals. A master plan for the geological survey of areas rich in valuable and useful minerals such as gold, iron, manganese etc. should be prepared and the mineral wealth of the country assessed. Kappath Mountain Range, Dharwar District in Mysore State was rich in gold reserve even during the British period. In absence of scientific and technical survey of the area the gold reserves are not being exploited.

The iron ore found in the Bellary District contains the richest iron content not only India but also in the world. Therefore, I feel that the proposed fifth Steel Plant should be located in Bellary District. Dastur & Co. and many other foreign committee after housing the area have recommended Hospet as the best site for the proposed fifth Steel Plant from the economic and cost of production point of view. I have no objection to establishment of steel plants at other places provided they can be run there successfully. 'Blitz' has criticised the role of the Iron & Steel Minister in this matter.

Then, injustice is being done to the mine owners. There has been a lot of discussion about Dalmia & Co. and many doubts have been expressed. They are being given a preferential treatment. Same is the case with Dastur & Co. There should be uniformity in rates for all miners, big or small.

A railway track is being laid to connect Hospet solely for the purpose of transporting iron ore. Instead why not you start at least a pig iron plant if it is not feasible to start a steel plant. We are still using out-dated and out-moded methods in exploitation of iron ore. Unless we introduce scientific methods of exploration the target of 16-17 million tons cannot be achieved. In the end I will again exphasise the need of locating the fifth Steel Plant at Hospet.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : सर्वप्रथम मैं मंत्रालय को सरकारी क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना बोकारो में स्थापित करने के बारे में साहसपूर्ण तथा दृढ़ कदम उठाने के लिये बधाई देता हूं। अमरीका द्वारा परियोजना में सहयोग करना अस्वीकार कर देने के कारण निस्सन्देह कुछ विलम्ब हुआ है तथा इससे कोयले की मांग पर भी प्रभाव पड़ा है। तीसरी योजना में कोयला उत्पादन का लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा गया था। वास्तविक कमी का पूर्वानुमान करके उपभोक्ता अपनी आवश्यकता से अधिक आंकड़े देते हैं। सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा अपने आंकड़े देने के बाद पता लगा कि खपत का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। उद्योगों ने कह दिया कि उन्हें कोयले की आवश्यकता नहीं है। यदि बोकारो व अन्य कारखाने कुछ वर्षों तक स्थापित नहीं होते तो कोयला बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो जायेगा।

झरिया में धातु कार्मिक कोयले का बहुत बड़ा भण्डार है। उसके उपयोग के लिये मंत्रालय को एक समेकित योजना बनानी चाहिये। भूतलिंगम् समिति ने सिफारिश की थी कि मजदूरी

तथा प्रासंगिक व्यय के बढ़ जाने पर उसके अनुसार कोयले के मूल्य में भी वृद्धि की जायेगी। उद्योगपति हमेशा इस बात को आगे रखते हैं। मेरे इलाके में 1,25,000 मजदूर खानों में काम करते हैं। उनकी अवस्था अच्छी नहीं है। मूल्य का प्रश्न तो उठाया जाता है लेकिन मजदूरों की दशा सुधारने के आश्वासनों को पूरा करने की बात पीछे रह जाती है। उत्पादन बढ़ाने के लिये नवीनतम मशीनें व सामान मंगाना होगा। चौथी पंच वर्षीय योजना में हमें उत्पादन में 400 प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। इस सब पर काफी लागत आयेगी। सरकार की मूल्य तथा अन्य विषयों सम्बन्धी नीति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रश्न यह है क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को उत्पादन ढांचे में स्पष्ट तथा निश्चित स्थान प्राप्त है। कल ही की बात है कि एक आमक समाचार फैला दिया गया था कि योजना आयोग के उपप्रधान श्री अशोक मेहता ने कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिया है। इससे उद्योगपतियों में तुरन्त आतंक फैल गया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मुरारका कह रहे थे कि भारतीय मजदूर की उत्पादन क्षमता अन्य देशों की अपेक्षा कम है। लेकिन इसके कारण क्या हैं? इसका कारण मजदूर में शक्ति अथवा कुशलता की कमी नहीं है बल्कि इसमें तो वास्तव में वृद्धि हुई है। आधुनिकीकरण करके नई मशीनों, तरीकों व व्यवस्था से मजदूरों की उत्पादन क्षमता ही नहीं बढ़ेगी बल्कि उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। बलवन्तराय मेहता समिति ने छोटी कोयला खानों के विलय के बारे में कुछ विशेष सिफारिशें की थीं लेकिन उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया। हमें इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिये।

कल खाद्य तथा कृषि मंत्री उर्वरकों के बारे में कह रहे थे। धनबाद के निकट स्थित केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था कम तापमान कार्बनाइजेशन पर सम्बन्ध अनुसंधान कर रही थी। 1000 अथवा 1500 टन का एक प्रायोगिक संयंत्र किसी भी स्थान पर लगाया जा सकता है जिससे 750-1000 टन धुआं न देने वाला ईंधन प्राप्त हो सकता है। गांवों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी बहुत सा कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू आवश्यकताओं के लिये घटिया किस्म के कोयले के भाड़े में कुछ आर्थिक सहायता देनी चाहिये ताकि गोबर आदि पदार्थों का उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जा सके।

एक अन्य बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस समय डीजल द्वारा रेलें चलाने की क्या जल्दी है। बहुत सी विदेशी मुद्रा देकर हम डीजल तेल का आयात क्यों करें जबकि हम घटिया किस्म के कोयले से रेलगाड़ियां अच्छी तरह से चला सकते हैं। इस तरह हम विदेशी मुद्रा की भी कुछ बचत कर सकते हैं।

अन्त में मैं विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही कोयला खानों के पुनर्वर्गीकरण के लिये कहूंगा। भारत में लगभग 850 खानें हैं। जो विश्व के किसी भी भाग में इतनी बड़ी संख्या और उस पर इतना कम उत्पादन कहीं भी नहीं मिलेगा। आज बेचारे मजदूर को कोयला खान मजूरी बोर्ड के पंचाट के अनुसार निर्धारित वेतन का 65 प्रतिशत वेतन ही मिलता है। गरीब मजदूर को

[श्री प्र० रं० चक्रवर्ती]

परेशान किया जाता है। हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि मजदूरों को उनका उचित भाग देना है। यदि ऐसा नहीं करते तो हम नहीं कह सकते कि हमारे लक्ष्य पूरे होंगे या नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल :*****

उपाध्यक्ष महोदय :*****

श्री राने :*****

श्री विद्याचरण शुक्ल :*****

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कार्यवाही के वृत्तान्त में से इन अंशों को निकाल देने का आदेश दे दिया है। मैं सदस्यों से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि ऐसे प्रश्नों को उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिये। देश संकट की स्थिति में है तथा सारे विश्व की आंखें हमारी ओर लगी हुई हैं।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): The order for deletion should be given immediately. The order has been given one hour after the proceedings. It is possible that the matter might have been published in the meanwhile. I agree that rumours should not be spread in an irresponsible manner but it is not proper to remove it from the record one hour after the debate.

I would urge the Minister to hold a judicial enquiry regarding Rourkela. Although a lot of expenditure is being incurred on the Rourkela Plant, the production is the lowest. High salaries are being paid to the staff. Steel is not only the point of industrialization, it is also the biggest Public Sector Industry. We will have to consider it in proper perspective and find out the basic defects.

The Prime Minister said on the 28th April, "We will prefer to live in poverty for as long as necessary, but we will not allow our freedom to be subverted." This is a contradiction in terms. Poverty and security cannot go together. Until we are firm to remove the poverty, we cannot safeguard our borders. Steel is of great importance to remove poverty and strengthen the defence of the country.

The principle of socialism is not followed so far as public sector is concerned. There is great disparity in the emoluments of different categories of staff in the steel plants. If socialism had anything to do with public sector undertakings, there would not have such disparity in the emoluments.

Foreign Officials in different undertakings, in which there is foreign collaboration, particularly in steel plants, are being paid high salaries. I would also like to know how long would these foreigners continue to work in those factories.

There is no sign of democracy in any of the steel towns. The population enjoys no civic rights. In none of the steel towns there is a corporation or municipality.

*ग्रन्थ-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**Expunged as ordered by the chair.

In the end I would like to say something about mines. A Birla firm had utilised literite in the Satna district of Madhya Pradesh for production of cement without any licence. Later on when our party raised this question in Rajya Sabha, they were given a permit instead of punishing them. I would like the Minister to explain the position in this matter.

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : इस्पात में प्रगति हमारी राष्ट्रीय प्रगति की द्योतक है। इससे देश के औद्योगिक विकास की गति बढ़ती है। यह कहा जाता है कि चीन ने भारत के औद्योगिक विकास की ईर्ष्या के कारण हम पर आक्रमण किया था।

इस्पात से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होती है। प्रतिरक्षा तथा विकास के सम्बन्ध में इसका महान दायित्व है। इस बात का श्रेय श्री सुब्रह्मण्यम् को मिलता है कि उन्होंने तीनों संयंत्रों की निर्धारित क्षमता को पूरा किया। यह कहना गलत है कि इस्पात कारखानों में निर्धारित क्षमता के अनुसार काम नहीं हो रहा है। लगभग सभी कारखानों में, विशेषरूप से भिलाई कारखाने में, निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन हुआ है।

चौथी योजना के अन्त तक हमारा इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य एक करोड़ पैंसठ लाख टन है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने विद्यमान इस्पात संयंत्रों की उनकी आर्थिक क्षमता तक विस्तार करने के लिए, कच्चे माल के उत्पादन के लिए, उसे इस्पात में परिवर्तित करने के लिए सुविधायें जुटाने से पहले ही, क्षमता स्थापना के लिए, ब्लाइन्ट भट्टी में सुधार और "कनवर्टर" कार्य-दक्षता के लिए नये तकनीक अपनाने के लिए नये इस्पात संयंत्रों के लिए नये स्थानों की खोज करने के लिए और कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए उपक्रमों के बड़े बड़े समूहों को इस प्रकार बनाने के लिए कि लोहे और इस्पात की निर्माण क्षमता को प्रादेशिक रूप से फैलाया जा सके, एक क्रमबद्ध योजना बनाई है।

रूस बोकारों का निर्माण करके हमारी इस्पात उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए सहायता कर रहा है। यह शायद मंत्रीजी के दुर्भाग्य की बात है कि आन्ध्र के लोग उनसे संतुष्ट नहीं हैं परन्तु अब वह उस रूप से कार्य नहीं कर सकते जैसा कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री होने के समय वह करते थे। अब उनके लिए सभी राज्य समान हैं और वह किसी से पक्षपात नहीं कर सकते? इसलिए उन्होंने यह मामला आंग्ल-अमरीकी व्यापार संगठन पर छोड़ दिया। इसके बावजूद भी मैं अपने राज्य की मांग का समर्थन करती हूँ।

रूस ने हमें भिलाई के इस्पात कारखाने में हमारे तकनीकी कर्मचारियों के भाग लेने की अनुमति दी थी। मुझे विश्वास है कि बोकारों में भी वे इस्पात संयंत्र के निर्माण में हमारे तकनीकी कर्मचारियों को भाग लेने की सुविधायें देंगे।

मंत्री महोदय पेरिस में सहायता की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। मैं हमें आसान भुगतान की सुविधायें आदि की सहायता देना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि इन सभी बातों से चौथी योजना के दौरान हमारा उत्पादन दस लाख टन बढ़ जायेगा। मैं यह भी पढ़ा है कि भारत की बढ़ रही विदेशी मुद्रा की कमी के कारण जर्मनी सहायता नीति पर पुनर्विचार कर रहा है। जापानी सहकारिता की भी गुंजाइश है। मेरे विचार में दुर्गापुर का मिश्रित इस्पात कारखाना जापानी सहयोग से बन रहा है। इण्डो-ब्रिटिश कार्पो-

[श्री लक्ष्मी कान्तम्मा]

रेशन की कोलम्बो योजना के अधीन दुर्गापुर के 400 निरीक्षक कर्मचारियों तथा प्रावि-
धिज्ञों को प्रशिक्षण सुविधायें देने का विचार रखती है।

आंध्र में इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में ज्ञापन दिया गया है कि विशाखापटनम में एक इस्पात कारखाना स्थापित किया जाये। राष्ट्रीय आय की तुलना में आंध्र में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। जबकि चौथी योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय में 37 प्रतिशत की वृद्धि की आशा है, आंध्र प्रदेश में केवल 29 प्रतिशत की वृद्धि ही होगी। वहां प्रादेशिक अतन्तुलन भी है। हमारे पास अच्छी प्रकार का कच्चा लोहा भी है। उस क्षेत्र में एक रेलवे लाइन भी बन रही है।

इस मंत्रालय के समक्ष बहुत सी समस्यायें हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन चुनौतियों का सामना करेंगे।

आंध्र के गुन्टूर तथा कृष्णा जिलों में चूने का पत्थर है जहां कुछ सीमेन्ट कारखाने भी चल रहे हैं। हम सीमेन्ट का उत्पादन करना चाहते हैं और औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी जिसके कारण कोयले की मांग भी बढ़ेगी। अन्य धातुओं के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के समक्ष मुख्य समस्या विदेशी मुद्रा तथा कच्चे माल की कमी है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन समस्याओं का दृढ़ संकल्प-से और साहस से सामना करेंगे।

श्री रामेश्वर टांडिया (सीकर): हिन्दुस्तान स्टील में उच्च लागत मूल्य तथा इन तीनों परियोजनाओं पर पूंजी व्यय के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्य बोले हैं। इन कारखानों का उद्देश्य इस्पात सम्बन्धी आवश्यकता में आत्म-निर्भर होना तथा विदेशी मुद्रा की बचत करना है। फिर भी हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि उत्पादन मूल्य कम हो।

लोहे की नालीदार चादरें ग्रामों में किसी मूल्य पर भी नहीं उपलब्ध हो रही है। कोयले का उत्पादन लक्ष्य दस करोड़ चालीस लाख टन से कम करके छः करोड़ बीस लाख टन कर दिया गया है। स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये। उच्च कोटि के कोयले का उत्पादन 2 प्रतिशत है। जबकि उसकी मांग 20 प्रतिशत है। कोयले की धुलाई के अधिक कारखाने स्थापित करने और उच्च कोटि के कोयले की बजाय निम्न कोटि के कोयले का अधिक प्रयोग करने के लिए उपाय किये जाने चाहियें।

1952-53 में भारत कोयले का निर्यात श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान तथा पूर्वी अफ्रीका आदि को कर रहा था। कोयले का निर्यात पुनः आरम्भ किया जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो प्रोत्साहन दिये जाने चाहियें। रेलवे और पत्तनों को वस्तु-भाड़ा कम करने के लिए कहा जाना चाहिये।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम पर 100 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जा चुकी है परन्तु उत्पादन शायद 90 लाख टन हुआ है। अलाभप्रद कोयला खानों में हो रही हानि को समाप्त करने के लिए उन्हें बन्द कर दिया जाना चाहिये। कुछ नई प्रकार की मशीनरी में ईंधन के प्रयोजन के लिए कोयले की बजाय तेल की भट्टियां लगाई जाती हैं। ऐसा करने से कोयले की खपत कम हो जायेगी। हमें कोयले की खपत बढ़ानी चाहिये।

कोयले के उत्पादन पर व्यय सम्बन्धी एक कठिनाई कोयला खान निरीक्षक है। वे कोयला खानों को सहायता देने की बजाये कठिनाईयां पैदा कर रहे हैं। कोयला उद्योग की कठिनाईयों का पता लगाने के लिए जांच की जानी चाहिये। कोयला खानों को कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के योग्य बनाने के लिए उचित सुविधायें दी जानी चाहियें।

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) : भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्य काम खनिज का सर्वेक्षण करना और मानचित्र बनाना है। दूसरी योजना के अन्त तक भारतीय भूतत्वीय विभाग ने 10,40,000 वर्ग किलोमीटर के मानचित्र तैयार किये थे। फरवरी, 1965 तक और 1,54,862 वर्ग किलोमीटर का काम समाप्त कर लिया गया है। चौथी योजनावधि के दौरान 4,56,00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पूरा करने का सुझाव है।

इस प्रकार भारतीय खान विभाग ने खनिज भण्डारों की विस्तृत खोज करने का काम करके एक महत्वपूर्ण कार्य कर दिखाया है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और 1955 में उसके क्षेत्र का विस्तार किया गया था। यह कहना ठीक नहीं है कि इस का काम अपर्याप्त है। 1968 तक विभाग 68 बार जांच कर लेगा और यह संख्या चौथी योजना के समाप्त होने तक 100 हो जायेगी। प्रति वर्ष सर्वेक्षण करने की परियोजनायें बनाते समय सदस्यों के सुझावों पर ध्यान रखा जायेगा।

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE in the Chair]

चौथी योजना के अन्त तक तांबे की मांग 2,50,000 मीट्रिक टन हो जायेगी। सरकार खेती परियोजना बनाने में लगी हुई है और इसके अतिरिक्त राख में तांबा निकालने की सम्भावनायें खोज रही हैं और आंध्र प्रदेश में अग्निकोंडला में खोज और सर्वेक्षण का काम जोरता से हो रहा है। खेती परियोजना बनाने का काम भी शीघ्रता से पूरा किया जायेगा।

अमरीका से आवश्यक उपकरण आ जाने पर, जिनके लिए ऋणप्रदेश दे दिया गया है, विभागीय 'शैफ्ट सिंकिंग' का काम तीव्र गति से होने लगेगा। 'स्मेल्टर' के लिए हमें फ्रांसीसी सहायता का आश्वासन प्राप्त हो चुका है। इस बात का दृढ़ निश्चय हो चुका है कि यह समस्त कार्यसमूह खेती में स्थित होगा। केवल इस बात का निर्णय होना है कि इस परियोजना में निर्माण किये जाने वाला उर्वरक किस किस प्रकार का हो। नये निर्णयों की दृष्टि से डब्ल्यू० के० ई० के साथ विचार विमर्श के प्रबन्धों में परिवर्तन किया जायेगा। इस परियोजना से 21,000 मीट्रिक टन तांबे का उत्पादन होने की सम्भावना है तथा कोलिहान निक्षेपों से 10,000 मीट्रिक टन की और वृद्धि की सम्भावना का अध्ययन किया जा रहा है।

31,000 टन तांबा के उत्पादन के लिए बिहार के सिंहभूम जिले में राधा निक्षेपों को निकालने के लिए सम्भावनाओं के बारे में अध्ययन कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम पूरा कर वही है। इसके लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

[श्री तिममठ्या]

सरकार आयात किये गये सधन खनिजों पर आधारित 'स्मेलटर' स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार कर रही हैं तथा हम विदेशों में तांबे के सधन खनिजों की खोज करने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं।

जैसा कि सभा को विदित है बेलाडिल्ला और किरिबुरु की खानें जापान को लोह अयस्क के निर्यात के लिए हैं। किरिबुरु में लोह-अयस्क खान का कार्य पहले से ही आरम्भ किया जा चुका है उस कारखाने में चूरा लोहा अधिक प्रतिशतता से तैयार हो रहा है। किरिबुरु खान से बीस लाख मीट्रिक टन लोह अयस्क का निर्यात किया जायेगा। बेलाडिल्ला लोह-अयस्क खानों का विकास भी किया जा रहा है जिससे 44 लाख टन लोहे का निर्यात किया जा सके। अभी तक बेलाडिल्ला में हम एक निक्षेप का विकास कर पाये हैं और निक्षेप संख्या 5 का विकास भी किया जायेगा। किरिबुरु का उत्पादन बोकारों संयंत्र को और लगाया जायेगा।

बेलाडिल्ला से लोह अयस्क का निर्यात करने के लिए हमें विनाखापटन तक रेलवे लाईन बनानी चाहिये। यह सच है कि वहां पर लदान की क्षमता पर्याप्त नहीं है। बेलाडिल्ला से एक करोड़ मीट्रिक टन लोह-अयस्क का लदान किया जायेगा।

प्रस्तावित 'पेल्टोलाइजेशन प्लांट' के स्थापित हो जाने के पश्चात् उत्पादन क्षमता लगभग 100 लाख टन तक पहुंच जायेगी और पत्तन पर चढ़ाने-उतारने की क्षमता लगभग 60 लाख टन तक पहुंच जायेगी। अतः सरकार इसका परिवहन बेलाडिल्ला से रेल द्वारा तथा काफ़ीनाड़ा तक नदी द्वारा करने के लिये एक वैकल्पिक परिवहन योजना पर विचार कर रहे हैं।

सीसा और जस्ता के बारे में स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है। मेटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया एक ही ऐसा गैर-सरकारी क्षेत्र है जो सीसा और जस्ता का उत्पादन कर रहा है। सरकार इस निगम को वित्तीय सहायता दे रही है। वे जस्ता की उत्पादन क्षमता का विस्तार 18,000 मीट्रिक टन तक प्रतिवर्ष करने जा रहे हैं। सीसा साफ करने का कारखाना बिहार में पहले ही है।

कोयले के उत्पादन के लक्ष्य में कमी करने के कई कारण हैं। रेलवे, इस्पात कारखानों तथा तापीय स्टेशनों में तेल का प्रयोग करने से उनमें कोयले की खपत घट गई है। इसके अतिरिक्त, परिवहन स्थिति में काफी सुधार हो जाने के कारण उपभोक्ता अपने पास अधिक स्टॉक रखने की आवश्यकता ही नहीं समझते क्योंकि अब वे समझते हैं कि उन्हें कोयला कभी भी मिल सकता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें कोयला की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन करने की क्षमता को कम करना है क्योंकि भविष्य में कई अधिक सीमेंट के कारखाने स्थापित किये जाने वाले हैं और उनके लिये कोयले की आवश्यकता पड़ेगी। अतः लक्ष्य के अनुसार हमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। 1963 के अन्त में खानों के बाहर 47.20 लाख टन कोयले का स्टॉक था और अब यह 50 लाख टन है। अतः इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है। कोयले की मांग में वृद्धि करने के लिये हमने कोयले के वितरण पर नियंत्रण ढीला कर दिया है। अब उपभोक्ता निर्धारित कोटे से भी अधिक कोयला ले सकते हैं।

श्री वारियर (त्रिचूर) : क्या सरकार ने दक्षिण में ढलाई घरों को कोयला विशेषकर कोक भेजने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

श्री तिम्मय्या : कोक की कमी के बारे में ढलाई घरों से हमें कोई शिकायत नहीं आई है । अतः माननीय सदस्यों को इस बारे में चिन्ता नहीं होनी चाहिये ।

हां तो मैं कह रहा था कि हमने कोयले के वितरण पर नियंत्रण को ढीला कर दिया है और राज्य सरकारों को यह कहा है कि वे पत्थर कोयला डिपो खोलने के लिये लाइसेंस देने में उदारता दिखायें । इन उपायों से मांग में हुई कमी दूर हो जायेगी । श्री चक्रवर्ती ने ग्रामों में गोबर और लकड़ी के स्थान पर पत्थर के कोयले को लोकप्रिय बनाने की बात कही । यह एक सुविदित तथ्य है कि गोबर सस्ता है अतः वे पत्थर के कोयले का उपभोग नहीं करना चाहते, क्योंकि कोयला गोबर से कहीं महंगा पड़ता है ।

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडा) : यदि उन्हें यह रियायती दामों पर दिया जाये तो वह इसका उपयोग करेंगे ।

श्री तिम्मय्या : कृषि और खाद्य मंत्रालय ने इसके प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये काफी प्रयत्न किये हैं । सर्वेक्षण करने से यह पता लगा है कि इसका उपयोग पश्चिमी बंगाल तथा बिहार क्षेत्र में होता है । कोयला नियंत्रक मद्रास, बंगलौर तथा दक्षिण में अन्य स्थानों जैसे महत्वपूर्ण नगरों में पत्थर के कोयले के प्रयोग करने की सम्भावनाओं का अध्ययन कर रहा है । इस के अतिरिक्त शीघ्र बढ़ने वाले पेड़ लगाने की योजना भी बनाई गई है जिससे इन की लकड़ी का प्रयोग गोबर के स्थान पर ईंधन के रूप में किया जा सके । गोबर गैस संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं ताकि इस गैस को ईंधन तथा खाद के रूप में प्रयोग में लाया जा सके । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की आलोचना की गई है कि पिछले वर्ष की तुलना में इह वर्ष इसको कम लाभ हुआ है । इस बारे में मैं यह बता देना चाहता हूं कि विनियोजन के आधार पर निगम 150 से 160 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन कर सकता है परन्तु कठिनाई यह है कि कोयले के लिये मांग ही नहीं है । अतः वे इसका उत्पादन लक्ष्य के अनुसार नहीं कर रहे हैं । इसीलिये इस वर्ष कम लाभ हुआ है । इसका एक और कारण भी है और वह यह है कि गिरिदीह जैसी पुरानी और सबसे गहरी खनों में, जिनसे सर्वोत्तम कोयला निकलता है, घाटा होता है । गिरिदीह खान से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 लाख रुपये का घाटा होता है । हम इनको बन्द भी नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोयला सब में अच्छी किस्म का होता है । सिंगरेनी कोयला खान से 55 लाख रुपये का लाभ हुआ है । गैर-सरकारी क्षेत्र में खान उद्योग ने विश्व बैंक द्वारा दिये गये 17 करोड़ रुपये में से 9 करोड़ रुपये व्यय किये हैं और 6 करोड़ रुपये की मशीनों के क्रय-आदेश दिये हैं । हमने उन्हें गारन्टी योजना के अधीन समान अनुदान देने के अतिरिक्त खनन के लिये मशीनों का आयात करने में छूट भी दी है ।

जहां तक कच्चे लोहे का सम्बन्ध है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य 15 लाख मीट्रिक टन का था । वर्तमान कमी का मुख्य कारण यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में जिन कारखानों को स्थापित करने के लिये लाइसेंस जारी किये गये थे, वह अभी तक स्थापित नहीं किये गये । कच्चे लोहे की भारी कमी की दृष्टि से उन्हें प्रोत्साहन देने

[श्री तिममय्या]

के उद्देश्य से हमने एक लाख टन से तीन लाख टन की क्षमता के कारखाने स्थापित करने की अनुमति दे दी है और उन्हें मूल्य और इस्पात नियंत्रण के अन्तर्गत न आने की छूट भी दी है। इसके अतिरिक्त हमने रूप तथा जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से कच्चा लोहा मंगवाने की भी व्यवस्था की है ताकि इसकी कमी दूर हो। कच्चे लोहे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये भी उपाय किये जा रहे हैं। भिलाई तथा दुर्गापुर कारखानों में हम और विस्फोट भट्टियां लगा रहे हैं। स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल से कच्चा लोहा बनाये जाने के लिये कई भट्टियां स्थापित करने की सम्भावना के बारे में भी अध्ययन किया जा रहा है।

देश में 201 री-रोलिंग मिलें हैं जिनकी वार्षिक क्षमता लगभग 13,24,000 मीट्रिक टन है। इन में से 103 'बिलेट' पर तथा 98 रही लोहे पर आधारित हैं; इस के अतिरिक्त 'बिलेट' पर आधारित कुछ अन्य इकाईयां और स्थापित करना अभी बाकी है। सक्सेना समिति के प्रतिवेदन के अनुसार री-रोलिंग मिलें स्थापित करने पर से 1960 में प्रतिबन्ध हटाने पड़े जिससे कई नई मिलें बन गईं और इससे कच्चा माल देने में कठिनाई होने के कारण 1963 में इस छूट को वापस लेना पड़ा। सरकार ने विद्यमान री-रोलिंग मिलों की क्षमता निर्धारित करने के लिये एक प्रविधिक समिति को नियुक्त किया है। यह समिति व्यापारियों को यह सुझाव भी देगी कि री-रोलरो से कम खर्च से कौन सी चीज का उत्पादन किया जा सकता है।

श्री राजाराम (कृष्णगिरि) : क्या आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा केरल में कुछ और री-रोलिंग मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : कहीं भी नहीं।

श्री राजाराम : पंजाब में गोविन्दगढ़ गांव में 45 इस्पात रोलिंग मिलें हैं।

श्री तिममय्या : मैंने माननीय सदस्यों को पहले ही बता दिया है कि हमने इन मिलों को स्थापित करने से प्रतिबन्ध हटाये थे और उस समय ऐसी कई मिलें स्थापित हो गईं जब हमें कच्चा माल देने में कठिनाई हुई तो हमें यह रियायत वापिस लेनी पड़ी अतः हम अब और ऐसी मिलों की स्थापना की अनुमति नहीं दे सकते।

श्री वारियर : इन मिलों को स्थापित करने में भेद-भाव क्यों बरता जाता है?

श्री तिममय्या : इसीलिये तो हमने उत्पादन क्षमता को निर्धारित करने के लिये एक प्रविधिक समिति नियुक्त की है

श्री राजाराम : जब कि उत्तर में सब कुछ किया जा रहा है, दक्षिण में कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय : वरिष्ठ मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री तिममय्या : इस समय प्रतिमास लगभग 65,000 मीट्रिक टन 'बिलेट' उपलब्ध है। री-रोलरों की मूल आवश्यकताओं का 25 प्रतिशत 'बिलेट' दिया जा रहा है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये हमने कुछ री-रोलिंग मिलों को अपनी विद्युत भट्टियों में इसका उत्पादन करने की आज्ञा दी है। ऐसी 11 भट्टियों से लगभग 83,960 मीट्रिक टन 'बिलेट' का उत्पादन किया जा रहा है। इस बारे में 13 और अवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री राजाराम : सभापति महोदय, श्रीमान्, भारत में सब से पहले तामिलनाडु में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था परन्तु खेद है कि अभी तक वहां पर कोई कारखाना स्थापित नहीं किया गया। सरकारी क्षेत्र में कोई भी बड़ी परियोजना नहीं है, हालांकि वहां पर बेरोजगारी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। 1930 में श्री मार्शल हीथ ने दक्षिणी अर्काट जिले में पोर्टो नोवो के स्थान पर लोहे का कारखाना लगाने के पश्चात् सलेम जिले में पुलम्पट्टी में लोहे का कारखाना चालू करने के प्रयत्न किये परन्तु वह वहां पर सफल नहीं हो सके क्योंकि इस उद्योग को आर्थिक कठिनाई, तकनीकी कर्मचारिवृन्द की कमी, लदान भाड़े में वृद्धि और ईंधन की कमी आदि कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी कठिनाई तो वहां पर 'कोक' की दुर्लभता थी। परन्तु अब नेवेली में लगभग 20,000 लाख टन लिग्नाइट के भण्डारों के मिलने से तामिलनाडु के लोगों को वहां एक इस्पात परियोजना चालू करने के लिये उत्साह प्राप्त हुआ है। सलेम में उपलब्ध लोह-अयस्क में से लगभग 36 प्रतिशत लोहा निकलता है जबकि देश में अन्य स्थानों पर 60 से 65 प्रतिशत लोहा निकलता है। इस बारे में राज्य उद्योग मंत्री श्री आर० वेंकटरामन मेसर्जं दस्तूर एण्ड कम्पनी के प्रतिवेदन के प्राक्कलन में कहा है कि धातु-विशेषज्ञों का कहना है कि यद्यपि सलेम लोह अयस्क से कम लोहा निकलेगा परन्तु उस में फास्फोरस तथा सल्फर जैसी हानिकारक चीजों की विद्यमानता बहुत कम है। मंत्री महोदय आगे लिखते हैं कि उन्होंने पश्चिमी देशों में ऐसे अयस्क का प्रयोग होते देखा है जिन से सलेम लोह-अयस्क की तरह कम प्रतिशत लोहा निकलता है। इस बारे में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य पूर्वी जर्मनी, नारवे, स्वीडन, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका में किये गये परीक्षणों से काफी अच्छे परिणाम निकले हैं। अब भारत सरकार ने मेसर्जं दस्तूर एण्ड कम्पनी को एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कहा है। परामर्शदाताओं ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि सलेम में तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से 95 करोड़ रुपये की लागत से एक इस्पात परियोजना चालू की जा सकती है। अन्य स्थानों पर विद्यमान इस्पात कारखानों की तुलना में सलेम में प्रस्तावित कारखाना स्थापित करने से कई लाभ हैं। कच्चा माल केवल 161 किलोमीटर की दूरी से लाना पड़ेगा जबकि अन्य इस्पात कारखानों के लिये कच्चा माल 592 से 4216 किलोमीटर की दूरी से लाना पड़ता है। सलेम में पूंजीगत निर्माण व्यय भी सबसे कम आयेगा और यह कोई 2090 रुपये प्रति टन होगा। जबकि राउरकेला में यह 2475 रुपये, दुर्गापुर में यह 2270 रुपये तथा भिलाई में यह 2208 रुपये आता है। इसके अतिरिक्त सलेम का मद्रास, बंगलौर, कोचीन और तिरुच्चिनापल्ली जैसे इस्पात उपभोक्ता केन्द्रों से बड़ी रेलवे द्वारा सम्पर्क है। इससे दक्षिण को जो 45 से 55 रुपये प्रति टन कच्चे लोहे का भाड़ा देना पड़ता है उस में भी बचत हो जायेगी। केवल यही नहीं सलेम में जो इस्पात बनाया जायेगा वह बहुत ही अच्छी किस्म का होगा जिसकी हमें आज देश में आवश्यकता है। सलेम में इस्पात कारखाना स्थापित करने में हमें केवल 38 करोड़ रुपये की विदेशी मद्रा की आवश्यकता पड़ेगी जो कि कुल लागत की केवल 40 प्रतिशत है। मद्रास राज्य ने इस बारे में तैयारी भी काफी कर ली है। उन्होंने लगभग 24,000

[श्री राजाराम]

एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया है। भूतपूर्व मंत्री आश्वासन देते रहे हैं कि वहां पर एक कारखाना स्थापित किया जायेगा। इतना कुछ होने के पश्चात् अब वर्तमान इस्पात मंत्री इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहते हैं। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वर्तमान मंत्री प्रादेशिक देश भक्ति के कारण स्लेम में कारखाना लगाने के पक्ष में नहीं हैं। मैं तो कहूंगा कि यह भारत सरकार तथा इस्पात मंत्री का नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह भूतपूर्व मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा करें।

श्रीमती मैमूना सुल्तान (भोपाल) : इस्पात परियोजनायें हमारे उद्योग के सतून हैं। चूंकि हमारी आस्था मिश्रित अर्थ व्यवस्था की धारणा में है अतः यह परियोजनायें दोनों सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में हैं और हम चाहते हैं कि इन में पूर्ण सामंजस्य तथा शान्तिपूर्ण सहस्तित्व हो और यही हमारे देश तथा स्वस्थ आर्थिक विकास के हित में है।

मैं माननीय सदस्या श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि जब हम इन परियोजनाओं को देखते हैं तो एक प्रकार का उल्लासकारी अनुभव होता है। परन्तु तथ्यों तथा आंकड़ों से पता चलता है कि यह उल्लासकारी अनुभव क्षण भंगुर है क्योंकि अधिकांश परियोजनाएँ घाटे से चल रही हैं। जो हमारी आशाएँ थी उन पर पानी फिर गया है। इसका कारण कार्यकुशलता तथा उचित रूप से आयोजन करने में कमी है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरान्त पिछले 17 वर्षों से हम लोगों से देश में ऐसा समाजवाद लाने की बात कहते रहे हैं जिसमें लोगों को अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा और जीवन बिताने के लिये अच्छे अवसर दिये जायेंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

परन्तु लोग अब निराश हो गये हैं। लोगों द्वारा किये गये श्रम तथा प्रयत्नों का फल या तो अपात्र लोगों को मिल रहा है अथवा उनके यह सब प्रयत्न निष्फल जा रहे हैं। इन परियोजनाओं को सरकारी क्षेत्र में रखने के पीछे हमारी धारणा यह थी कि इस से सम्पत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं जा पायेगी। परन्तु सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण से पता चलता है कि सम्पत्ति के केन्द्रित होने का प्रश्न ही नहीं क्योंकि वहां सम्पत्ति है ही नहीं। इसके विपरीत इन परियोजनाओं से काफी हानि हो रही है। मैं श्री रामेश्वर टांटिया की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यह परियोजनायें लाभ अर्जित करने के लिये नहीं हैं। निःसन्देह इन से हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा उत्पादन में वृद्धि करने का है परन्तु लाभ कमाना भी हमारा एक उद्देश्य है और यही कारण था कि पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं से 300 करोड़ रुपये का लाभ होने का अनुमान लगाया गया था। जिस में से 100 करोड़ रुपये इन तीन इस्पात कारखानों से आने थे परन्तु वास्तविकता यह है कि इन कारखानों से उल्टा घाटा उठाना पड़ रहा है। उत्पादन कम होने का कारण यह है कि इन परियोजनाओं को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है। हमें उपलब्ध किये गये आंकड़ों से प्रतीत होता है मानो इन तीनों कारखानों में आपस में होड़ लगी हुई है कि किसको अधिक हानि होती है। उदाहरणार्थ 1962-63 में राउरकेला इस्पात कारखाने से 10.7 करोड़ रुपये, दुर्गापुर से 8.4 करोड़ रुपये और भिलाई से 4.5 करोड़ रुपये की हानि हुई।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर शीघ्र ही ध्यान देंगे और सुधार करेंगे। एक बात और जिस की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ वह देश के सन्तुलित औद्योगिक विकास के बारे में है। देश के पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। वहां पर उद्योग स्थापित किये

जायें। मध्य प्रदेश हमारे देश का सब से बड़ा राज्य है। यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस में खनिज पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहां पर कोयले भी बड़ी मात्रा में हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जाये। बहुत सी समितियों ने भी मध्य प्रदेश के विकास के बारे में सिफारिशें की हैं। मध्य प्रदेश में कोरबा के स्थान पर एल्युमीनियम का एक कारखाना है। वहां पर एल्युमीना भी बनाया जाना चाहिये। कोयले की कीमतें पूरे देश के लिये निर्धारित की जाती हैं। मध्य प्रदेश के राज्य खान निगम को तापीय प्रक्रिया से खनन की आज्ञा दी जानी चाहिये। इस से मूल्य कम हो जायेंगे और औद्योगिक विकास को लाभ होगा।

श्री नाथ पाई (राजापुर): यह मंत्रालय देश के लिये बहुत अधिक महत्व का है। कुछ समय पहले अर्थशास्त्रियों की एक समिति ने इस्पात पर नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है। अब इस्पात की कमी की सम्भावना है भविष्य के कार्यक्रम के बारे में कोई बात निश्चित नहीं है। यह स्थिति पिछले तीन चार वर्षों से चली आ रही है। इस उद्योग का विकास बड़े अनियमित रूप से हो रहा है। प्रशासन की ओर से इस का मार्गदर्शन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस कारण सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें जानना है कि क्या समाज को इस उद्योग से पूरा लाभ हुआ है? क्या इस में कार्यकुशलता से कार्य हुआ है? इस से देश के श्रमिक वर्ग को क्या लाभ हुआ है? और इस वर्ग के उद्योग के साथ सम्बन्ध कैसे हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर निराशाजनक हैं। इस मंत्रालय के अधिकारी अपनी चतुरता से ऐसी रिपोर्टें तैयार करते हैं कि जिस से पता चले कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, परन्तु ऐसी बात होती नहीं है। लोहे के उत्पादन में कमी हुई है और हमें इस का आयात करना पड़ा था। इस में घोटाला किया गया है। सरकार ने पहले 15,000 एककों की अनुमति दी अब उन की संख्या 300,000 है। यह करना ठीक नहीं। हम इस्पात तैयार करना चाहते हैं परन्तु हमें लोहा आयात करना पड़ रहा है। मैं इस का कारण जानना चाहता हूं।

इस्पात के बारे में भी गलत बात कही जा रही है। 1964-65 में इस की उपलब्धि का अनुमान 55 लाख टन का है। हम ने द्वितीय योजना के लक्ष्य को तृतीय योजना के अन्त में प्राप्त किया है। हमें इस्पात के उत्पादन के बारे में झूठा प्रचार नहीं करना चाहिये और ठीक आंकड़े तैयार करने चाहियें। हमारे देश में सब देशों से सस्ता लौह अयस्क मिलता है। हमारे यहां श्रमिकों पर खर्चा भी बहुत कम है। हमारे इस्पात संयंत्र भी बिल्कुल आधुनिक हैं। इन सब सुविधाओं के होते हुए भी हमारे देश का इस्पात बहुत महंगा है। जापान के पास ये सुविधायें नहीं परन्तु उस का इस्पात बहुत सस्ता है। हमारे राजनैतिक शासक निरंकुश है और प्रशासनिक शासक नौकरशाही वाले व्यक्ति हैं। यह बड़े खेद की बात है। हमने प्रत्येक कार्य के लिये सिविल अधिकारियों को लगाया हुआ है। आज समय बदल गया है हमें कार्य के अनुसार उचित व्यक्ति नियुक्त करने चाहिये। ऐसा न करना ही हमारी असफलता का कारण है। भारत के इंजीनियर विश्व के बड़े 2 देशों के इंजीनियरों से मुकाबला कर सकते हैं। तो हम स्टील उत्पादन में पिछड़े हुए क्यों हैं? इस का कारण हम स्वयं ही हैं। सरकार ने डिजाईन ब्यूरो बनाया है। मैं इस का स्वागत करता हूं।

हमें बोकारो कारखाने को भिलाई के रूप के अनुसार नहीं बनाना है। हम भिलाई के लिये रूस के आभारी हैं। परन्तु उस की योजना अब पुरानी हो गई है। हमें भारतीय इंजीनियरी को भी प्रोत्साहन देना है। भारतीयता की भावना की ओर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

[श्री नाथ पाई]

इस बात का वचन दिया गया था कि भारतीय वैज्ञानिकों से पूरा पूरा लाभ उठाया जायेगा। अब रूस से बहुत बातों के लिये सहायता मांगी जा रही है। हमें भिखारी नहीं बनना है और आत्म-सम्मान भी रखना है। यह ठीक है कि हम ने सहायता स्वीकार की है। सार्वजनिक उपक्रमों में श्रमिकों तथा प्रबन्धकों में सम्बन्ध अच्छे होने चाहिये। सरकारी क्षेत्र को इस बारे में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये आदर्श प्रस्तुत करना चाहिये। खेद का विषय है कि सरकारी प्रबन्धकों का रवैया इस सम्बन्ध में बहुत खराब है। यह बात समाजवाद के सिद्धान्तों के विपरीत है। सरकार को अपने रवैये में परिवर्तन लाना चाहिये। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में श्रमिकों में फूट डाल दी है। इस कारण वहां पर उद्योगिक उत्पादन में कमी हो गई है। इस प्रकार वातावरण खराब नहीं होने देना चाहिये। सरकार को इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। डेबर समिति ने सिफारिश की थी कि जहां पर हो सके वहां श्रमिकों सम्बन्धी मुश्किलों को दूर करने के लिये जनमतसंग्रह कराना चाहिये। इस सिफारिश को कार्यान्वित करना चाहिये। कृष्ण मेनन समिति ने एक बहुत बुद्धिमतापूर्ण सिफारिश को है कि किसी मंत्रालय के सचिव को उस मंत्रालय के अधीन किसी उपक्रम का सभापति न बनाया जाये। इसकी संसद् में बहुत समय से मांग की जा रही है। इस पर राजनैतिक निर्णय होना चाहिये। आज हमारे उपक्रमों पर नौकरशाही का कब्जा है। इससे प्रगति में बाधा पड़ रही है। इसमें भी परिवर्तन होना चाहिये।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): आज प्रथम बार मैं सभा में वाद-विवाद में भाग ले रहा हूँ। मैं प्रश्नों के उत्तर तो देता रहा हूँ परन्तु मेरा आज अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा का पहली बार उत्तर देने का अवसर है। माननीय सदस्यों ने जो रचनात्मक सुझाव दिये हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूँगा।

भिलाई इस्पात कारखाने का वर्तमान उत्पादन 10 लाख टन है और आशा है कि अगले वर्ष यह 25 लाख टन हो जायेगा।

रूरकेला में अब काफी प्रगति हुई है। यहां छः महीने पहले वहां कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस संयंत्र में लगे विदेशी प्रविधिज्ञों की संख्या कम की जा रही और भारतीय को उन के स्थानों पर लगाया जा रहा है। इसमें अब उत्पादन 10 लाख टन हो रहा है। आशा है कि अगले साल के जुलाई महीने तक इस का विस्तार कार्यक्रम पूरा हो जायेगा और उत्पादन भी 18 लाख टन हो जायेगा। दुर्गापुर में भी विस्तार कार्य ठीक प्रकार से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। बोकारो वास्तव में अब चतुर्थ योजना की परियोजना बन गई है। इस समझौते पर जनवरी में हस्ताक्षर हुए थे और परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो रहा है।

हम भारतीय टैक्निशियनों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। कई सौ व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी गई है। हम इस मामले में अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि छटा संयंत्र भारतीय टैक्निशियन ही चलायें।

यहां पर कहा गया है कि हमारे इस्पात का उत्पादन व्यय बहुत अधिक है। यह बात ठीक भी है और इसके कई कारण हैं। मैं विचार कर रहा हूँ कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये। उस में संसद् के कुछ सदस्य होंगे। हम अपने इंजीनियरों को विदेश भेज रहे हैं। वे अन्य देशों में जाकर वहां की परिस्थितियों को देखेंगे और हमें सुझाव देंगे।

गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात उत्पादन व्यय की तुलना में सरकारी क्षेत्र का व्यय बहुत कम है। यदि कोई माननीय सदस्य सस्ता इस्पात उत्पन्न करने का सुझाव देंगे तो मैं उस का स्वागत करूंगा।

प्रत्येक व्यक्ति ऐसा चाहता है परन्तु मुझे सुझाव कोई नहीं देता है। यदि मुझे गलती बताई जायेगी तो मैं उसको स्वीकार करूंगा।

हमें अपने प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देनी चाहिये। उन्हीं की बदौलत हम लक्षित स्तर से अधिक उत्पादन कर सके हैं। प्रशासन की खामखा निन्दा करना अच्छी बात नहीं है। हमारे तकनीशियनों ने कारखानों के काम को अच्छी तरह संभाल रखा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। उत्पादन चल रहा है और आज छोटी सी भी हड़ताल नहीं है। सरकारी क्षेत्र में छात्रावासों, स्कूलों और मजदूरों के बालकों के लिये वस्त्रों, पुस्तकों और चिकित्सीय सुविधाओं पर बड़ी राशि व्यय की जा रही है।

इस्पात संयंत्रों का प्रबन्ध भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा ही किया जा रहा है। विदेशी विशेषज्ञों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। उत्पादन बराबर ठीक चल रहा है। अब केवल 200 से 300 विदेशी तकनीशियन रह गये हैं। हमें उन से और सीखना चाहिये। सीखने में कोई बुराई नहीं है। इन 20 या 30 प्रतिशत बचे हुए विदेशी लोगों से भारतीय हितों को क्षति नहीं पहुंच सकती। उन्होंने कारखानों का निर्माण किया है। यदि कोई खराबी पड़ जाती है तो उनके नाम पर धब्बा लगता है। ऐसी बात नहीं है कि विदेशी विशेषज्ञों से सहायता लेने से हमारी शान खराब होती है। चौथी योजना के लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं। यदि तीसरी योजना के अन्त तक केवल 70 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा जा सकता है तो 170 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य पूरा करना तो निश्चय ही बहुत बड़ी बात है। तीसरी योजना के सम्बन्ध में मैं नहीं समझता कि बोकारो संयंत्र को छोड़ कर जो कि चौथा संयंत्र है हम बहुत पीछे हैं।

दुर्गापुर के सम्बन्ध में हम ब्रिटिश सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने ने इसके विस्तार के लिये सहायता की घोषणा पहले से ही कर दी है। अब कोई समस्या नहीं है। परियोजना प्रतिवेदन हमारे लोगों द्वारा ही लिखा जाता है। भिलाई के विस्तार के लिये सहायता प्राप्त करने के लिये हमें बातचीत करनी है। मुझे आशा है कि हमारे रूसी और जर्मनी मित्र हमारी सहायता करेंगे। पांचवें संयंत्र के लिये परियोजना प्रतिवेदन दस्तूर एंड कम्पनी द्वारा लिखा गया था। अभी इसके स्थान के बारे में निर्णय लेना बाकी है जो कि हम तकनीशियनों की मंत्रणा प्राप्त होने पर लेंगे।

मेरे मित्र श्री नाथ पाई श्री रंगा और अन्य माननीय सदस्यों ने कच्चे लोहे की कमी के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि इस अवस्था पर हम कच्चे लोहे के संयंत्र लगा सकते हैं जिन्हें बाद में इस्पात संयंत्रों में बदल दिया जाये। हम इस सुझाव पर विचार कर रहे हैं।

पांचवां संयंत्र किस स्थान पर लगाया जाये इस सम्बन्ध में दस्तूर एंड कम्पनी और कुल्जियन कम्पनी आठ स्थानों का अध्ययन कर रही है। मैं इस सभा को केवल यही आश्वासन दे सकता हूँ कि स्थान के बारे में एक तरफा निर्णय नहीं लिया जायेगा। मैं इस काम को तकनीशियनों के निर्णय पर छोड़ दूंगा।

आशा है कि मई के अन्त तक प्रतिवेदन मिल जायेगा। फिर उसके अध्ययन करने में 2 या 3 महीने लग जायेंगे। फिर एक नया परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा जिसमें 9 महीने लगेंगे।

[श्री संजीव रेड्डी]

इसके विदेशों से मशीनें मंगाने में दो वर्ष लगेंगे। फिर निर्माण कार्य में 3 वर्ष लगेंगे और उसके पश्चात् ही उत्पादन आरम्भ होगा।

बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। गत मास मैंने वहां का दौरा किया था। बिहार सरकार ने 1000 एकड़ भूमि हमें दे दी है। वह हमें पूरा सहयोग दे रही है। कई इमारतें पहले से ही बना ली गई हैं। इस समय कार्यालय कलकत्ता में है जिसे 4 या 5 महीनों में संयंत्र स्थान पर ही लाया जायेगा।

दुर्गापुर में हम जिस मिश्र धातु संयंत्र का निर्माण कर रहे हैं उसकी प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं है। मुझे खुशी है कि निर्माण कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया गया है। आशा है कि 1967 तक हम प्रत्याशित उत्पादन तक पहुंच जायेंगे। आगे चल कर और भी विस्तार की आवश्यकता होगी क्योंकि 1,00,000 टन मिश्रधातु इस्पात से हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा लक्ष्य 3,00,000 टन का है। मैसूर में भद्रावती इस्पात एकक का भी विस्तार हो रहा है। न केवल विस्तार ही हो रहा है अपितु हम इसे एक मिश्रधातु इस्पात परियोजना में बदल रहे हैं।

कुछ न कुछ मात्रा में तो हमें मिश्रधातु इस्पात बाहर से मंगाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी मांग प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है और इस से पता चलता है कि देश प्रगति कर रहा है। जितने अधिक उद्योग खुलेंगे उतनी ही इसकी मांग बढ़ेगी। कमी होते हुए भी हम इस धातु की कुछ मात्रा निर्यात कर रहे हैं। ऐसा इस लिये कि हम अपने उत्पादन को विदेशों में लोक-प्रिय बनायें और जब हमारा उत्पादन आवश्यकता से बढ़ जाये तो हमें मंडियां तैयार मिल जायें।

यह भी कहा गया है कि इस्पात की लागत कुछ अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि कच्चे माल की किस्म बहुत ऊंची नहीं है। हमारा कोयला बढ़िया नहीं है। इस में राख बहुत होती है और धोना पड़ता है। इस प्रकार लागत बढ़ जाती है। यही बात अयस्क पर लागू होती है। मैंने खानों का दौरा किया था। मेरा विचार था कि यन्त्रिकृत खानों से अयस्क सस्ता पड़ सकता है। परन्तु इसकी अपनी समस्याएं हैं। खानों के यन्त्रीकरण से चूरे की बहुत बड़ी प्रतिशतता हो जाने का प्रश्न उत्पन्न होता है। उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। हमने भिलाई और रूरकेला में "सिटीरिंग प्लांट" लगाये हैं ताकि चूरे का प्रयोग किया जा सके। परन्तु उन कारखानों में जहां "सिटीरिंग प्लांट" नहीं है वहां हम नहीं जानते कि चूरे को कैसे प्रयोग में लायें। यह राष्ट्रीय अपव्यय है।

हमें कच्चे माल की लागत को किसी न किसी प्रकार कम करने के बारे में सोचना होगा।

फालतू श्रमिकों के मामले का भी कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। यह सच है कि हर इस्पात कारखाने में दो हजार के लगभग श्रमिक फालतू हैं परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में भी यह बात सच है। नये कारखानों के स्थापित होने पर कुछ फालतू शिल्पिकों को वहां स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। सरकार ने पहले ही इस बारे में हिदायतें दे दी हैं। उदाहरण के लिए बोकारो इस्पात कारखाने में कोई नया कर्मचारी तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक वर्तमान इस्पात कारखानों के फालतू कर्मचारी काम पर नहीं लग जाते।

भिलाई से बेकार होने वाले 10,000 श्रमिकों की बात कही गई है परन्तु वह इस्पात कारखाने के कर्मचारी नहीं हैं। वह निर्माण कर्मचारी हैं। निर्माण का काम करने वाले श्रमिक

अस्थायी रूप से रखे जाते हैं तथा उनको इस्पात कारखानों में स्थायी कर्मचारियों के रूप में नहीं रखा जा सकता। जैसे-जैसे निर्माण के कार्य में स्थान होंगे उन लोगों को काम पर लगा लिया जायेगा।

इस्पात की किस्म भी बहुत अच्छी नहीं है। इस सम्बन्ध में महा प्रबन्धक और दूसरे लोगों के साथ विचार-विमर्ष किया गया है। अब धीरे-धीरे किस्म में सुधार हो रहा है।

जब कच्चा माल उपलब्ध नहीं है तो कोई इस्पात कारखाना कच्चा माल बेच कर अपना काम बन्द नहीं करेगा। नये लाइसेंस देने का क्या लाभ है जब विद्यमान कच्चा माल 'री-रोलर' कारखानों को 25 प्रतिशत के आधार पर मिल रहा है। पहले वर्तमान रोलिंग मिलों को कच्चा माल उपलब्ध कराना होगा।

हमारे पास कच्चे लोहे की कमी है परन्तु हमें आशा है कि हम इस कठिनाई पर काबू पा लेंगे क्योंकि बलास्ट भट्टियां तथा इस्पात कारखाने समय से कुछ पहले ही लग रहे हैं। हमारी योजना यह है कि बलास्ट भट्टियां पहले बनाई जायें ताकि कच्चे लोहे की कमी दूर हो सके।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सम्बन्ध में मुझे बहुत परेशानी हो रही है। उस पर बहुत धन खर्च किया गया है परन्तु प्रत्याशा से आधी मात्रा में भी कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य से योजना गलत हो गयी है। जब कोयले की कमी होती है तो उद्योगों की मांग बहुत अधिक होती है और जिस समय हम कोयला दे सकते हैं तो वह उसका प्रयोग नहीं कर सकते। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की क्षमता तो है परन्तु उत्पादन नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह बहुत बड़ी राष्ट्रीय हानि है। इस स्थिति में सुधार के लिए अब कुछ उपाय किये गये हैं।

हम दूसरे देशों को घटिया किस्म के कोयले का निर्यात नहीं कर सकते हैं। दक्षिण में कोयला ले जाना कठिन है। हम गाड़ियों द्वारा तथा पोतों और उसके बाद गाड़ियों द्वारा कोयले का परिवहन कर रहे हैं। कोयले की कमी बिल्कुल नहीं है।

एक समय राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में श्रम सम्बन्धी स्थिति बिगड़ने का खतरा था। परन्तु निगम तथा श्रमिकों में बातचीत द्वारा यह मामला ठीक हो गया है। हम कुछ खानों को बन्द कर रहे हैं। गिरीडीह खान में प्रति वर्ष 50 लाख रुपये की हानि हो रही है।

घरों के लिए पत्थर का कोयला देने का प्रश्न उठाया गया है ताकि गोबर की बचत की जा सके। परन्तु गरीब ग्रामीण खाद्य पदार्थ भी नहीं खरीद सकते। मैं नहीं जानता कि क्या वह यह कोयला खरीद सकेंगे। परन्तु यदि कोई अन्य विभाग इस काम को अपने हाथ में ले तो मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है।

अलोह धातुओं के सम्बन्ध में संसदीय सचिव ने काफी बताया है। हमारे पास तांबे, जस्ते और स्वर्ण की कमी है। मेरे विचार में तांबा देश में काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। दुर्भाग्य से खेतरा तांबा परियोजना में वर्षों से विलम्ब हो रहा है परन्तु अब फ्रांस से ऋण उपलब्ध हो गया है और उपकरणों के लिए आदेश भी दे दिये गये हैं। शेफ्ट की खुदाई चल रही है तथा आशा है कि दो या तीन वर्षों में वहां उत्पादन शुरू हो जायेगा। हम इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। सिक्किम में भी तांबा उपलब्ध है। वहां खुदाई का काम चल रहा है तथा हम सिक्किम खनन निगम के लिए विदेशी मुद्रा जुटाने का प्रयत्न कर

रहे हैं। हम ने कई स्थानों पर तांबे की खानें लगाई हैं और आशा है कि हम इस बारे में और कुछ करने में सफल होंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER in the Chair]

जहां तक जस्ता तथा सीसे का सम्बन्ध है, यह धातुयें सम्भवतः राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध हैं परन्तु यह काम धातु निगम कर रहा है जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र में है। दुर्भाग्य से इस समवाय को कुछ कठिनाइयां हैं और वह इस सम्बन्ध में बहुत अधिक प्रगति नहीं कर सका है। हमें यह धातुएं भारत में और कहीं नहीं मिली हैं। इसलिए हम ने यह निर्णय किया है कि इसके सघन खनिज आयात किये जायें जिनमें से धातुयें हमारे देश में ही निकाली जायेंगी ताकि कम से कम 50 प्रतिशत विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। हम ईरान से शुद्ध जस्ता खरीदने की बजाय सघन खनिज आयात करने के बारे में सोच रहे हैं। हम एक दल ईरान भेज रहे हैं और हम स्मेल्टर लगाने के लिए पोलिश सरकार से सहायता के लिए बातचीत कर रहे हैं।

माननीय मित्र, श्री विद्याचरण शुक्ल का यह विचार गलत है कि अलोह-धातुओं के उत्पादन में कमी हुई है। यदि सारे वर्ष के लिए आंकड़े देखे जायें तो पता चलेगा कि कमी बिल्कुल नहीं हुई है।

मैं भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के अच्छे काम का उल्लेख अवश्य करना चाहता हूँ। भारत जैसे बड़े देश की भूमि के प्रत्येक भाग में तो भूतत्वीय सर्वेक्षण कार्य नहीं कर सकता। स्वर्ण, तांबे तथा अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में कार्य करना होता है। सीमित कर्मचारियों तथा सीमित उपकरणों के साथ वह काफी अच्छा काम कर रहा है।

भारतीय खान ब्यूरो ने भी काफी अच्छा काम किया है। कुछ इधर उधर की गलतियां हो सकती हैं। यदि ऐसी कुछ गलतियां हैं तो हम ठीक करेंगे परन्तु हमें समूचे संगठन की निन्दा नहीं करनी चाहिये।

हाल ही में मैंने उपमंत्री से प्रार्थना की है कि वह भूतत्वय सर्वेक्षण तथा भारतीय खान-ब्यूरो की क्रियान्विति के प्रश्न की जांच करें तथा समन्वय के लिए उपाय बतायें। हम इस बारे में अभी तक विचार कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में निर्णय लिया जायेगा।

श्री रंगा ने कोयले के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं। श्री मुरारका ने खेती परियोजना के सम्बन्ध में विशेष सुझाव दिये हैं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि इस योजना के सम्बन्ध में पूरे प्रयत्न किये जायेंगे।

डा० उ० मिश्र ने आसनसोल के किसी ठेकेदार द्वारा सत्तारूढ़ दल को धन देने के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। मैं नहीं जानता कि कौनसा दल कहां से धन लेता है। मैं इस सम्बन्ध में अधिक कहना नहीं चाहता परन्तु मैं उनकी एक बात का उत्तर अवश्य देना चाहता हूँ। यह टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को ऋणों के सम्बन्ध में है। यह ऋण दस वर्ष पूर्व दिये गये थे। इस ऋण के सम्बन्ध में कुछ शर्तें हैं। इस सम्बन्ध में बातचीत एक विशेष प्रक्रम पर है। हम यह धन खो नहीं रहे हैं। यदि हम यह धन वसूल न कर सके तो हम इसे अंशों में परिवर्तित करने से नहीं हिचकिचायेंगे।

छोटी अलाभप्रद खानों का स्वेच्छा के आधार पर विलय किया जा रहा है। लगभग 100 खानें मिल गई हैं परन्तु यह बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। स्वेच्छा से ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। इसलिए हम अलाभप्रद खानों के अनिवार्य विलय के लिए विधान बना रहे हैं।

श्री ल० ना० भंजदेव के साथ मैं पूर्णतया सहमत हूँ। उड़ीसा के राज्यपाल न केवल राज्यपाल के रूप में बल्कि शिल्पी के रूप में भी उपयोगी हैं। वह राज्य के विकास की गति-विधियों में बहुत रुचि ले रहे हैं।

दुर्गापुर में बने इस्पात के बारे में मैसूर से शिकायतें आई हैं। छड़ें अच्छी प्रकार की नहीं हैं। वे मुड़ने की बजाय टूट जाती हैं। सम्बन्धित अधिकारियों ने इस में सुधार करने का वचन दिया है। लन्दन को निर्यात की जाने वाली कुछ छड़ें टूट गई हैं। हम ने मंत्रालय के एक सचिव को जांच करने के लिए वहां भेजा है।

मैंने इन 11 महीनों में अभ्रक के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई के बारे में नहीं सुना है। आंध्र और बिहार में अभ्रक की कई खानें हैं। मुझे इस सम्बन्ध में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। इसका अर्थ यह है कि वे ठीक ही चल रही हैं।

श्री नाथ पाई : मैंने डेबर समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में पूछा था। मैंने यह भी पूछा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष सम्बन्धित मंत्रालयों के सचिव क्यों बनाये जायें। इस बात की निन्दा कृष्ण मेनन समिति ने की थी।

श्री संजीव रेड्डी : मैं इस सिफारिश से सहमत हूँ परन्तु बोकारो के अध्यक्ष इस्पात और खान मंत्रालय के सचिव हैं। वह किसी अन्य निगम के अध्यक्ष नहीं हैं।

श्रमिक संगठन को मान्यता बहुत समय पहले दी गई थी। हम पहले दी जा चुकी मान्यता वापिस नहीं ले सकते। अब मतदान करने से सरकारी क्षेत्र के कारखाने की शान्ति भंग होगी।

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : माननीय मंत्री ने होस्पेट परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में कहा है कि यह लगभग तीन महीने तक प्राप्त हो सकता है। इस पर विचार में लगभग 9 मास लग सकते हैं और उसके बाद मशीनरी आदि के लिए ऋयादेश दिया जायेगा। क्यों न ऋयादेश पहले ही दे दिया जाये क्योंकि मशीनरी बनाने वाले भी कुछ समय लेंगे। इस दौरान आप प्रतिवेदन पर विचार कर सकते हैं और जिस समय विचार पूरा हो जायेगा तब तक मशीनरी भी तैयार हो जायेगी।

श्री संजीव रेड्डी : जब तक हमें यह मालूम न हो कि वित्त व्यवस्था कौन करेगा, परियोजना क्या होगी और किस प्रकार की मशीनरी की आवश्यकता है, ऋयादेश कैसे दिया जा सकता है ?

श्री कृ० ल० मोरे (हतकंगला) : कोयना एल्युमिनियम परियोजना कोल्हापुर क्षेत्र में स्थित की जानी चाहिये और 'स्मेल्टर' द्वारा उत्पादन चौथी योजना के आरम्भिक वर्षों में शुरू हो जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई कटौती प्रस्ताव पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाए ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : श्रीमान, सं० 10, 11, 12, 15, 16 तथा 17।

अध्यक्ष महोदय : वे तो पेश नहीं किये गए। केवल संख्या 1 से 6 तथा संख्या 22 से 29 ही पेश किये गए थे।

श्री यशपाल सिंह : प्रस्ताव सं० 4 पर पृथक् रूप से मतदान हो।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 4 सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सं० 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Cut Motion No. 4 was put and negatived.

श्री यशपाल सिंह : प्रस्ताव सं० 6 पर भी पृथक् रूप से मतदान हो।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव सं० 6 सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सं० 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Cut Motion No. 6 was put and negatived.

श्री शिवमूर्ति स्वामी : कटौती प्रस्ताव संख्या 24।

अध्यक्ष महोदय : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 24 मतदान के लिये रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सं० 24 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Cut Motion No. 24 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुआ।

All the other Cut Motions were then put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस्पात और खान मंत्रालय की निम्नलिखित मांगों मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई:—

The following Demands in respect of Ministry of Steel and Mines were put and adopted:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
86	इस्पात और खान मंत्रालय	45,30,000
87	भूगर्भ सर्वेक्षण	3,22,79,000
88	इस्पात और खान मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	17,41,22,000
140	इस्पात और खान मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	22,76,54,000

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

वर्ष 1965-66 के लिये पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
82	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	15,15,000
83	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	5,65,52,000
138	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	21,89,60,000

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय अपना भाषण आरम्भ करें ?

श्री वारियर : कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

श्री कपूर सिंह : जी हां। कुछ प्रश्न रखे जाने दिये जाएं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है— 5 मिनट प्रश्नों के लिये और 5 मिनट उत्तर के लिये दिये जाते हैं।

श्री वारियर : क्या करार के अन्तर्गत कोचीन शोधक कारखाने में तैयार किये जाने वाले नेपथा का कुछ भाग लगाई गई पूंजी के बदले में निर्यात किया जाएगा और यही बात इस कारखाने के साथ साथ पेट्रोकेमिकल उद्योग की स्थापना में बाधक है ?

Shri Yashpal Singh (Kairana): Since there is no arrangement for the supply of water in Mohand area where oil is being explored at present and work suffers as water has to be brought here from 15 miles away. In view of this difficulty, whether the Minister has in mind to move power available for the tubewell installed at Ganeshpur so that lakhs of rupees worth of work which is being lost at present might be made up?

श्री शिवमूर्ति स्वामी : पेट्रोलियम से निकलने वाली रसायनिक गैसों जिन्हें अब जला दिया जाता है, क्या इन्हें प्रयोग में लाया जाएगा अथवा निकटवर्ती नगरों में उद्योगों को दिया जाएगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : तेल-कूपों से निकलने वाली सम्बद्ध तथा असम्बद्ध गैसों का इस समय कहां तक प्रयोग होता है ?

Shri Tulshidas Jadhav: Whether oil exploration has been tried in that area of which where there are disturbances at present?

Shri Bibhuti Mishra: I want to know whether the Government wants the Petro-chemical Industries in the Public Sector or the Private Sector?

Shri Kishen Pattnayak: Whether the hon. Minister will see that Kerosene oil is made available to the public at one and a half times the cost of production?

श्री कपूर सिंह : क्या निकट भविष्य में मध्य प्रदेश तथा पंजाब में पेट्रोलियम वाणिज्यिक हद तक निकालने की कोई सम्भावना है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : आपने कितना अच्छा तरीका निकाला है। अन्य मंत्रालयों के लिये भी यही तरीका अपनाया जा सकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मैं तटवर्ती क्षेत्रों में कम गहरे पानी में तेल तथा गैस की खोज के बारे में भूकम्प सर्वेक्षण की रिपोर्ट के बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री कोया : कोचीन तेल शोधक कारखाने संबंधी प्रगति कहां तक हुई है।

Shri Raghunath Singh: What will be the share of Indian Shipping for the import of crude oil according to the agreement signed with Iran?

श्रीमती यशोदा रेड्डी : क्या मद्रास तथा अन्य स्थानों पर तेल शोधक कारखाने चालू करने की दृष्टि से तेल की खोज करने के लिये गोदावरी के तेल में भूकम्प सम्बन्धी जांच करने के लिये दल वहां भेजे गए हैं ?

श्री प्र० चं० बरुआ : पांच वर्ष पूर्व एक अनुमान लगाया गया था.....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने नोट्स लिखने बन्द कर दिये हैं क्योंकि शायद वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना कठिन समझते हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : शिवसागर के निकट पांच वर्ष पूर्व प्राकृतिक गैस का अनुमान 350 लाख घन फुट का लगाया गया था। तब से कई कूपों से उत्पादन हो रहा है परन्तु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अनुमानों में बहुत अन्तर है। क्या सरकार राज्य सरकार से प्राकृतिक गैस की मात्रा का ठीक अनुमान निश्चित करके इस गैस के प्रयोग के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : मैं एक व्यापक उत्तर दूंगा जिसमें काफी प्रश्न आ जाएंगे। कोचीन कारखाने में उत्पादन 1 जनवरी, 1966 में आरंभ होने की सम्भावना है। यदि भारतीय पोत उपलब्ध हुए सारे का सारा कच्चा तेल मद्रास शोधक कारखाने को इन्हीं द्वारा भेजा जाएगा।

मिट्टी के तेल के भाव लगभग स्थिर रहे हैं। घटिया तेल के भावों में कमी ही हुई है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है वह अन्य चीजों के मूल्यों की वृद्धि की अपेक्षा बहुत कम है।

तटवर्ती क्षेत्रों जैसे कोरोमंडल तट तथा केम्बे तथा कच्छ की खाड़ियों में सर्वेक्षण किया गया है और आशा है कि वहां कुछ पेट्रोल मिल सकेगा। मोहंद में अभी तक कोई प्रभावशाली फल नहीं निकला। क्योंकि वहां आशा घटती जा रही है इस लिये पानी के लिये विशेष व्यवस्था करना बेकार है। हम काम करने वालों को पीने का अच्छा पानी देते रहे हैं और उनसे अभी तक हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इसी दौरान कावेरी तल तथा राजस्थान

में खोज कार्य आरम्भ हुआ है। केनिंग पत्तन के निकट बोदरा नामक स्थान पर भी खुदाई करने का निश्चय किया गया है।

यदि ईरान के तटवर्ती क्षेत्रों के आशानुसार तेल निकला तो हमारा घाटा जो 150 से 200 लाख मैट्रिक टन का है, पूरा हो जाएगा।

प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिये पग उठाये जा रहे हैं। असम में क्योंकि एकीलोनी-ट्राइल संयंत्र के लिये यह उपयुक्त नहीं थी इसलिये हम ने पी-वी-ए के निर्माण के लिये कहा है। गुजरात में कुछ गैस विद्युत् शक्ति संयंत्र में प्रयोग होगी।

उर्वरकों के बारे में लक्ष्य केवल तभी प्राप्त होंगे जब विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी। हमारे पास 4 लाख टन नाइट्रोजन पहले ही है और 7 लाख टन में से 11 लाख टन का उत्पादन 1967 तक होने जा रहा है। 35 लाख टन के बारे में सिद्धान्त रूप से समझौता हो चुका है और 10 लाख टन के बारे में बातचीत चल रही है। यदि विदेशी सहयोगी हमें विदेशी मुद्रा देने को तैयार हो जाएं तो कठिनाई दूर हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : अब मांगे मतदान के लिये रखी जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands in respect of Ministry of petroleum and chemicals were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
82	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	15,15,000
83	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	5,65,52,000
138	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	21,89,60,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त मंत्रालय, विधि मंत्रालय, निर्माण और आवास मंत्रालय, अणु शक्ति विभाग, संसद् कार्य विभाग तथा लोक-सभा, राज्य सभा और उप राष्ट्रपति के सचिवालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands in respect of Ministry of Finance, Ministry of Law, Ministry of Works and Housing, Department of Atomic

Energy, Department of Parliamentary Affairs, and Lok Sabha, Rajya Sabha, and Secretariat of Vice-President were put and adopted:—

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
25	वित्त मंत्रालय	2,05,08,000
26	सीमा-शुल्क	4,17,90,000
27	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	10,36,95,000
28	निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	7,87,07,000
29	स्टाम्प	2,95,82,000
30	लेखापरीक्षा	13,34,43,000
31	मुद्रा और सिक्का ढलाई	7,51,60,000
32	टकसाल	2,40,58,000
33	कोलार की सोने की खानें	3,93,33,000
34	पेंशनें और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	4,41,41,000
35	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	18,23,000
36	अफीम	54,08,000
37	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	59,24,12,000
38	आयोजना आयोग	1,27,88,000
39	राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	2,13,56,53,000
40	केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	34,12,000
41	विभाजन-पूर्व की अदायगियां	2,79,000
120	इण्डिया सिक्कूरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय	6,44,000
121	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	5,98,24,000
122	टकसालों पर पूंजी परिव्यय	10,79,000
123	कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय	62,08,000
124	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	1,35,79,000
125	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	70,26,67,000
126	विकास के लिये राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	42,60,37,000
127	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	2,98,73,39,000

विधि मंत्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
79	विधि मंत्रालय	41,76,000
80	निर्वाचन	85,52,000
81	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,67,000

निर्माण और आवास मंत्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
95	निर्माण और आवास मंत्रालय	21,32,000
96	लोक निर्माण-कार्य	32,32,47,000
97	लेखन सामग्री और छपाई	12,01,96,000
98	निर्माण और आवास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	88,48,000
144	लोक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	10,80,25,000
145	दिल्ली पूंजी परिव्यय	16,95,36,000
146	निर्माण और आवास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,16,84,000

अणु शक्ति विभाग

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
99	अणु शक्ति विभाग	22,66,000
100	अणु शक्ति गवेषणा	9,38,33,000
147	अणु शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय	27,50,00,000

संसद्-कार्य विभाग

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
106	संसद्-कार्य विभाग	3,84,000

लोक-सभा, राज्य-सभा और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
109	लोक-सभा	1,04,83,000
111	राज्य-सभा	46,65,000
112	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	1,98,000

Shri Madhu Limaye: On a point of order Sir, I will finish only in one sentence. Article 113 of the Constitution.

Mr. Speaker: I will come to that. You may kindly take your seat.

Unless a member is identified, he should not start speaking. I want the cooperation of the House including those in the Opposition in this. Otherwise I will have to direct the Reporters not to take down what they say.

Shri Madhu Limaye: My objection is under Rules 208 and 210, which are under Article 113(2) of the Constitution, regarding putting to vote the above demands. Rule 208(3) relates to cut motions, which are of three kinds. First is to reject the policy. . . .

Mr. Speaker: I have followed your point. May I know your cut motion regarding reduction.

Shri Madhu Limaye: There are so many, but I do not have them at present.

Mr. Speaker: I have seen all the cut motions and none relates to reduction. Reducing the amount by Rs. 100 or Re. 1 relate to policy. Only the third category of cut motion relates to reduction, not the first two.

Shri Madhu Limaye: I want to draw your attention to a letter received by me from the Deputy Secretary, wherein I was informed that permission cannot be granted to me to move my cut motion without informing me about the admissibility of token cuts etc.

I, therefore feel that this voting is against the rules.

Shri Kishen Pattnayak: Rule 209 may kindly be seen. It relates to "to reduce".

Mr. Speaker: I have said that the hon. Member is not referring to reduction actually when he mentions these cut motions.

विनियोग (सं० 2) विधेयक, 1965,
 APPROPRIATION (No. 2) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1965-66 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि वित्तीय वर्ष 1965-66 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि वित्तीय वर्ष 1965-66 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।”

श्री रंगा (चित्तूर) : हमारे विचार से सरकार यह धन राशि उतने ध्यान तथा उतनी मित-व्ययता से खर्च नहीं करती जितना उसे करना चाहिये । यह बात लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों से स्पष्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : अब जबकि सभा यह सभी मांगें पारित कर चुकी है इसके विरोध में कुछ कहना वांछनीय नहीं है ।

श्री रंगा : मैं सभा के निर्णय का विरोध नहीं कर रहा परन्तु इस समय यह तो कह ही सकता हूँ कि सरकार को धन का उचित प्रयोग करना चाहिये ।

Shri Kishen Pattnayak: I have to say only two things—one, that the Hindi version of the Bill just now introduced by the hon. Finance Minister has not been circulated. Secondly, Demand No. 109 is *sub judice* and, therefore should not be voted till the decision of the Court.

Mr. Speaker: If Hindi version has not been received by the hon. Member it does not mean that the whole proceeding has been wrong. I will see to it that it will always be circulated in future.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि वित्तीय वर्ष 1965-66 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड वार विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

“कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

“कि विधेयक को पारित किया जाये ।”

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक को पारित किया जाये ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पारित हो चुका है । अब सभा सोमवार 11 बजे प्रातः तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, सोमवार, 3 मई, 1965/13 वैशाख, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 3, 1965/Vaisakha 13, 1887 (Saka).

